छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा | नवम् सत्र

सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

(अग्रहायण 30, शक सम्वत् 1942)

[अंक 01]

Web Copy

विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष	डॉ. चरणदास महंत
उपाध्यक्ष	श्री मनोज सिंह मण्डावी
प्रमुख सचिव	श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति तालिका

1. श्री सत्यनारायण शर्मा,
2. श्री धनेन्द्र साहू,
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह,
4. श्री शिवरतन शर्मा,
5. श्री देवव्रत सिंह

माननीय राज्यपाल

सुश्री अनुसुईया उइके

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची

01.	श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनिज साधन, जन सम्पर्क, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो.
02.	श्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री	पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.)
03.	श्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री	लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन
04.	श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री	संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट
05.	डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री	स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, सहकारिता
06.	श्री मोहम्मद अकबर, मंत्री	परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन, विधि एवं विधायी कार्य
07.	श्री कवासी लखमा, मंत्री	वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्य एवं उद्योग
08.	डॉ.शिवकुमार डहरिया, मंत्री	नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम
09.	श्री अमरजीत भगत, मंत्री	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति
10.	श्रीमती अनिला भेंडिया, मंत्री	महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण
11.	श्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास,वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)
12.	श्री गुरू रूद्र कुमार, मंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग
13.	श्री उमेश पटेल, मंत्री	उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संसदीय सचिवों की सूची

01.	श्री चिंतामणी महाराज	लोक निर्माण मंत्री से संबद्ध
02.	श्री पारसनाथ राजवाड़े	उच्च शिक्षा मंत्री से संबद्ध
03.	श्रीमती अंबिका सिंहदेव	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री से संबद्ध
04.	श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय	वन मंत्री से संबद्ध
05.	श्री द्वारिकाधीश यादव	आदिम जाति विकास मंत्री से संबद्ध
06.	श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे	पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से संबद्ध
07.	श्री इन्द्रशाह मण्डावी	राजस्व मंत्री से संबद्ध
08.	श्री कुंवर सिंह निषाद	खाद्य मंत्री से संबद्ध
09.	डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह	महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध
10.	श्री रेखचंद जैन	नगरीय प्रशासन मंत्री से संबद्ध
11.	सुश्री शकुन्तला साहू	कृषि मंत्री से संबद्ध
12.	श्री शिशुपाल सोरी	वन मंत्री से संबद्ध
13.	श्री यू.डी. मिंज	वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री से संबद्ध
14.	श्री विकास उपाध्याय	लोक निर्माण मंत्री से संबद्ध
15.	श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से संबद्ध

.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदस्यों की वर्णात्मक सूची
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक सहित)

अ

01.	अजय चन्द्राकर	57-कुरूद
02.	अमरजीत भगत	11-सीतापुर (अ.ज.जा.)
03.	अरूण वोरा	64-दुर्ग शहर
04.	अनिता योगेंद्र शर्मा, श्रीमती	47-धरसींवा
05.	अनिला भेंडिया, श्रीमती	60-डौंडी लोहारा (अ.ज.जा.)
06.	अंबिका सिंहदेव, श्रीमती	03-बैकुंठपुर
07.	अमितेश शुक्ल	54-राजिम
08.	अनूप नाग	79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.)
09.	आशीष कुमार छाबड़ा	69-बेमेतरा

इ

01.	इंद्रशाह मण्डावी	78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)
02.	इंदू बंजारे, श्रीमती	38-पामगढ़ (अ.जा.)

उ

01.	उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती	17-सारंगढ़ (अ.जा.)
02.	उमेश पटेल	18-खरसिया

क

01.	कवासी लखमा	90-कोन्टा (अ.ज.जा.)
02.	कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.	32-मस्तूरी (अ.जा.)
03.	किस्मत लाल नंद	39-सरायपाली (अ.जा.)
04.	कुलदीप जुनेजा	50-रायपुर नगर उत्तर
05.	कुंवर सिंह निषाद	61-गुण्डरदेही
06.	के.के.ध्रुव, डॉ.	24-मरवाही (अ.ज.जा.)
07.	केशव प्रसाद चन्द्रा	37-जैजेपुर

ख

01	खेलसाय सिंह	04-प्रेमनगर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ग

01.	गुरू रूद्र कुमार	67-अहिवारा (अ.जा.)
02.	गुरूदयाल सिंह बंजारे	70-नवागढ़ (अ.जा.)
03.	गुलाब कमरो	01-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा.)

च

01.	चक्रधर सिंह सिदार	15-लैलूंगा (अ.ज.जा.)
02.	चरणदास महंत, डॉ.	35-सक्ती
03.	चंदन कश्यप	84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)
04.	चंद्रदेव प्रसाद राय	43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)
05.	चिन्तामणी महाराज	08-सामरी (अ.ज.जा.)

छ

01.	छन्नी चंदू साहू, श्रीमती	77-खुज्जी

ज

01.	जयसिंह अग्रवाल	21-कोरबा

ट

01.	टी.एस.सिंहदेव	10-अम्बिकापुर

ड

01.	डमरूधर पुजारी	55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)

त

01.	ताम्रध्वज साहू	63-दुर्ग ग्रामीण

द

01.	दलेश्वर साहू	76-डोंगरगांव
02.	द्वारिकाधीश यादव	41-खल्लारी
03.	देवती कर्मा	88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.)
04.	देवेंद्र यादव	65-भिलाई नगर
05.	देवेंद्र बहादुर सिंह	40-बसना
06.	देवव्रत सिंह	73-खैरागढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ध

01.	धरमलाल कौशिक	29-बिल्हा
02.	धनेन्द्र साहू	53-अभनपुर
03.	धर्मजीत सिंह	26-लोरमी

न

01.	ननकीराम कंवर	20-रामपुर (अ.ज.जा.)
02.	नारायण चंदेल	34-जांजगीर-चांपा

प

01.	प्रकाश शक्राजीत नायक	16-रायगढ़
02.	प्रमोद कुमार शर्मा	45-बलौदाबाजार
03.	पारसनाथ राजवाड़े	05- भटगांव
04.	प्रीतम राम, डा.	09-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)
05.	पुन्नूलाल मोहले	27-मुंगेली (अ.जा.)
06.	पुरूषोत्तम कंवर	22-कटघोरा
07.	प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ.	06-प्रतापपुर (अ.ज.जा.)

ब

01.	बृजमोहन अग्रवाल	51-रायपुर नगर(दक्षिण)
02.	बृहस्पत सिंह	07-रामानुजगंज (अ.ज.जा.)

भ

01.	भुनेश्वर शोभाराम बघेल	74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)
02.	भूपेश बघेल	62-पाटन

म

01.	ममता चंद्राकर, श्रीमती	71-पण्डरिया
02.	मनोज सिंह मण्डावी	80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)
03.	मोहन मरकाम	83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.)
04.	मोहित राम	23-पाली-तानाखार(अ.ज.जा.)
05.	मोहम्मद अकबर	72-कवर्धा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

य

01.	यू.डी.मिंज	13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)

र

01.	रजनीश कुमार सिंह	31-बेलतरा
02.	रंजना डीपेंद्र साहू, श्रीमती	58-धमतरी
03.	राजमन वेंजाम	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
04.	रमन सिंह, डॉ.	75-राजनांदगांव
05.	रामकुमार यादव	36-चंद्रपुर
06.	रामपुकार सिंह ठाकुर	14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)
07.	रविन्द्र चौबे	68-साजा
08.	रश्मि आशिष सिंह, डॉ. (श्रीमती)	28-तखतपुर
09.	रेखचंद जैन	86-जगदलपुर
10.	रेणु अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती)	25-कोटा

ल

01.	लक्ष्मी ध्रुव, डॉ.	56-सिहावा (अ.ज.जा.)
02.	लखेश्वर बघेल	85-बस्तर (अ.ज.जा.)
03.	लालजीत सिंह राठिया	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)

व

01.	विक्रम मण्डावी	89-बीजापुर (अ.ज.जा.)
02.	विनय जायसवाल, डॉ.	02-मनेन्द्रगढ़
03.	विनय कुमार भगत	12-जशपुर (अ.ज.जा.)
04.	विद्यारतन भसीन	66-वैशाली नगर
05.	विकास उपाध्याय	49-रायपुर नगर पश्चिम
06.	विनोद सेवन लाल चंद्राकर	42-महासमुन्द

श

01.	शकुन्तला साहू, सुश्री	44-कसडोल
02.	शिवरतन शर्मा	46-भाटापारा
03.	शिवकुमार डहरिया, डॉ.	52-आरंग (अ.जा.)
04.	शिशुपाल सोरी	81-कांकेर (अ.ज.जा.)
05.	शैलेश पाण्डे	30-बिलासपुर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स

01.	सत्यनारायण शर्मा	48-रायपुर ग्रामीण
02.	संतराम नेताम	82-केशकाल (अ.ज.जा.)
03.	संगीता सिन्हा, श्रीमती	59-संजारी बालोद
04.	सौरभ सिंह	33-अकलतरा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

(अग्रहायण-30, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

समय :

11:00 बजे **"राष्ट्रगीत" एवं "राज्यगीत"**

उपाध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के साथ राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" होगा । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगीत एवं राज्यगीत के लिये कृपया अपने स्थान पर खड़े हों ।

(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" और राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" की धुन बजाई गई।)

समय :

11.03 बजे **निधन का उल्लेख**

(1) श्री हीरासिंह मरकाम, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य ।

(2) श्री पूरन लाल जांगड़े, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य।

(3) श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य ।

(4) श्री घनाराम साहू, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री हीरासिंह मरकाम का दिनांक 28 अक्टूबर, 2020, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री पूरन लाल जांगड़े का दिनांक 11 नवम्बर, 2020, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य, श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम का दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री घनाराम साहू का दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 को निधन हो गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री हीरासिंह मरकाम का जन्म 14 जनवरी, 1942, ग्राम-तिवरता, तत्कालीन जिला-बिलासपुर में हुआ था । उन्होंने एम.ए. एलएलबी. तक की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रारंभ में उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया । वे प्रथम बार सन् 1985 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पाली तानाखार निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । सन् 1991 में उन्होंने गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की । वे दूसरी बार सन् 1996 के उपनिर्वाचन में तथा तीसरी बार सन् 1998 के निर्वाचन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट पर पाली तानाखार निर्वाचन क्षेत्र से ही अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा नवम्बर, 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे । वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिये सतत् संघर्षशील रहे । उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

श्री पूरनलाल जांगड़े का जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था । उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था । उन्होंने अनेक वर्षों तक शिक्षक के पद पर कार्य किया । वे सन् 1972 में जनसंघ पार्टी की टिकट पर मालखरौदा निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गए । सामाजिक सेवा में इनकी विशेष अभिरूचि थी । वे दलित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे । वे वैदिक चिकित्सा के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करते थे । उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम का जन्म 20 सितम्बर, 1969 को डौंडीलोहारा में हुआ था । वे डौंडीलोहारा राजघराना परिवार से संबंधित थे । उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था । वे सन् 2003 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर डौंडीलोहारा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । वे छत्तीसगढ़ की प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, महिलाओं तथा बालकों के कल्याण संबंधी समिति एवं सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य रहे । वे अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे । उनके निधन से प्रदेश ने एक युवा राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

श्री घनाराम साहू का जन्म 1 फरवरी, 1945 को ग्राम-कलंगपुर, तहसील-गुंडरदेही में हुआ था । उन्होंने एम.ए. तक की शिक्षा प्राप्त की थी । उन्होंने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कलंगपुर में प्राचार्य के रूप में सेवाएं दी । वे प्रथम बार सन् 1972 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गुंडरदेही निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गए । तत्पश्चात् आप कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सन् 1977 तथा 1998 में गुंडरदेही निर्वाचन क्षेत्र से ही अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा नवम्बर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे । वे छत्तीसगढ़ विधान सभा की लोक लेखा समिति, सदन समिति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तथा पटल पर रखे गए पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति के सदस्य रहे । वे छत्तीसगढ़ किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे । सामाजिक, राजनैतिक एवं संगीत में इनकी विशेष अभिरूचि थी। वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे । उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले विशेष सत्र से इस सत्र के बीच में हमारे 4 पूर्व विधायकों को हमने खो दिया है । हीरासिंह मरकाम जी के दुखद निधन की खबर 28 अक्टूबर 2020 को प्राप्त हुई । हीरासिंह मरकाम आदिवासी नेता थे । उच्च शिक्षा प्राप्त थे, उन्होंने एम.ए. के बाद गोल्डमैडल के साथ एल-एल.बी. की उपाधि हासिल की । वे शिक्षक थे और उसके बाद उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की और ताउम्र वे शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे, पहले वे बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे उसके बाद समाज की उन्नति और विकास के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, वे 1996 और 1998 में विधायक चुने गए और दोनों बार हम साथ में थे । मध्यप्रदेश में भी उनके साथ बैठने का अवसर मिला और सन् 2000 के बाद छत्तीसगढ़ की विधान सभा में उनके साथ बैठने का अवसर मिला । वे बहुत ही स्पष्टवादी थे और कभी भी अपने सिद्धान्तों से समझौता नहीं करते थे । हमेशा आदिवासी हितों की बात, आदिवासी संस्कृति के उन्नयन और विकास के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित रहा । बहुत कम साधन में भी अभी कोरबा जिले से उठकर पूरे छत्तीसगढ़ में और मध्यप्रदेश में गोंडवाना का प्रभाव उन्होंने फैलाया। जब भी वे जाते थे तो सैकड़ों हजारों की तादाद में आदिवासी एकत्रित होते थे और उन्हें संगठित करके उनके अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ते थे। ऐसे निर्भीक, उच्च शिक्षा प्राप्त और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति के जाने से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक अपूरणीय क्षति हुई है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अविभाजित मध्यप्रदेश के जमाने से मालखरौदा के विधायक रहे श्री पूरन लाल जांगड़े का भी निधन एक अपूरणीय क्षति है। वे अड़भार के निवासी थे और हमेशा समाज के जो शोषित, पीड़ित और सर्वहारा वर्ग के लिए वे संघर्षरत रहे। श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम वर्ष 2003 में हम लोगों के साथ विधान सभा में थे। नौजवान विधायक के रूप में विधान सभा में उनका आगमन हुआ। वे बहुत ही सहज और सरल, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। वे राजपरिवार से जरूर आते थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वे किसी बड़े परिवार से हैं। उनका व्यवहार बहुत ही सहज और सरल रहा है, लेकिन 53 साल की उम्र में उनका निधन होना, उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई जाने का उम्र नहीं है, लेकिन विधि के विधान के सामने हम सब नत-मस्तक हैं और हमने निश्चित रूप से एक आदिवासी नेता खोया है और उनके जाने से एक अपूरणीय क्षति हुई है। उनके परिवार के प्रति भी मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री घनाराम साहू जी वर्ष 1972 में 25 साल की उम्र में विधायक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बने। पहले वे शिक्षक थे और शिक्षकीय कार्य करते-करते ही राजनीति में आये और वर्ष 1972 में पहली बार गुण्डरदेही विधान सभा से विधायक बने और फिर निर्दलीय विधायक बने थे। फिर वर्ष 1977 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस की उस समय जनता लहर में भी वे हमारे दुर्ग जिले से जीतकर आये थे और उसके बाद वर्ष 1998 में तीसरी बार वे विधान सभा में कांग्रेस के सदस्य के रूप में रहे। हम लोगों का बहुत से निकट का संबंध रहा है, क्योंकि मेरा गांव उसी विधान सभा में पड़ता है तो हम लोग हमेशा दौरे में आते थे तो वे हमारे गांव भी आते थे। उनसे मुलाकात होती थी। वे बहुत ही सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तिव के धनी थे। साथ ही संगठन के विभिन्न पदों पर भी वे काम करते रहे। वे अनेक दलों से भी चुनाव लड़े। वे भाजपा से भी चुनाव लड़े थे। शायद वे बसपा से भी एक बार चुनाव लड़े और अभी अंतिम समय में वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गये थे। सभी दलों के लोगों से उनका बड़ा निकट का संबंध रहा है। वे विचार से ज्यादा संबंधों पर ज्यादा जोर देते थे और ऐसे व्यक्ति के जाने से निश्चित रूप से अपूरणीय क्षति हुई है। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मध्यप्रदेश और यहां जो विधायक साथी रहे, वे साथी आज हमारे बीच में नहीं हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। श्री हीरासिंह मरकाम का तिवरता ग्राम में जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई और उसके बाद शिक्षकीय कार्य में उन्होंने अपना जीवन लगाया। उसी दौरान बिलासपुर में हम लोग जब एल.एल.बी. कर रहे थे तो हमने साथ में ही एल.एल.बी. किया। इस नाते विधायक बनने के पहले से उनके साथ परिचय रहा। हम लोग एक पुराने जिले में ही थे। जिस प्रकार से उनका आचार-विचार और एक सामान्य परिवार में जैसा जन्म लिया, उसके अनुरूप ही उस प्रकृति के स्वभाव के आदमी रहे। वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पहली बार विधायक निर्वाचित हुए फिर बाद में उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की । इस पार्टी की स्थापना करने के बाद में वे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक के रूप में निर्वाचित होकर आये । वे न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि छत्तीसगढ़ के साथ मध्यप्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में भी आदिवासी समाज के बीच में मूलत: एक सशक्त लीडरशिप के रूप में उभरकर आये और समाज में उनकी मान्यता रही है । वे अंतिम समय तक पार्टी के लिए, समाज के लिए और जिस प्रकार से आदिवासी समाज में उनके मूलभूत अधिकार और सामाजिक रूप से उनको क्या मदद कर सकते हैं, शासकीय रूप से मदद कर सकते हैं, उस दिशा में उन्होंने हमेशा कार्य किया । आज इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, पूरन लाल जांगड़े जी ने शिक्षक के रूप में अपने जीवन की शुरूआत की और शिक्षक के रूप में जीवन शुरूआत करने के बाद सन् 1972 में जनसंघ से मालखरौदा विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधायक बने । जिस प्रकार से समाज की व्यवस्था रही, समाज के उत्थान के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राजनीति कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनका योगदान हमेशा रहा । उनके जीवन का लक्ष्य रहा कि समाज का उत्थान कैसे हो, अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसके लिए वे लगातार प्रयत्नशील रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, लाल महेन्द्र सिंह टेकाम जी का जन्म डौंडीलोहारा राजपरिवार में हुआ, उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप बहुत मिलनसार थे और लोगों को कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक ऐसे राज परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, बल्कि जो सामान्य रहन-सहन के साथ में उनका आचार, व्यवहार भी उसी प्रकार से सामान्य रहा । वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2003 में चुनाव जीतकर विधायक बने और चुनाव जीतने के बाद में वे समाज की सेवा में लगातार लगे रहे । वे राजा तो थे ही, दिल से भी राजा थे । लोगों के साथ में उनका मिलना-जुलना न केवल उस क्षेत्र में, बल्कि अनेक उपचुनाव में भी उनको जाने का अवसर मिला और वहां भी सभी लोगों से मिलकर उन्होंने काम किया । उस दौरान अपने क्षेत्र के विकास के लिए सतत् रूप से प्रयासरत् रहे, किसानों के लिए हमेशा चिन्ता करते रहे । उनकी छवि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही और विधायक बनने के बाद में अनेक समितियों में वे मनोनीत होकर आये और उन समितियों में भी उन्होंने कार्य किया ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घनाराम साहू जी के बारे में हम सबको मालूम है कि एक कृषक परिवार में उनका जन्म हुआ और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में शासकीय सेवा में प्राचार्य के रूप में उन्होंने सेवाएं दीं । इसके बाद में उन्हें ऐसा लगा कि मुझे समाज की सेवा में अग्रिम पंक्ति में आना चाहिए और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा । उस समय निर्दलीय चुनाव जीतकर आना इस बात को साबित करता है कि समाज के बीच में उनकी छवि, उनकी लोकप्रियता इतनी रही है कि वे निर्दलीय विधायक के रूप में चुनकर आये । उसके बाद में कांग्रेस की टिकट पर विधायक के रूप में चुनकर आये । हम लोगों के साथ में विभिन्न समितियों में उनको बाहर जाने का अवसर भी मिला, पारिवारिक और व्यक्तिगत रूप से उनसे निकट का सम्पर्क भी रहा । वे किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे, साथ ही साथ में उन्होंने जिस प्रकार से समाज के लिए राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास के लिए योगदान दिया और जब वे किसान आयोग के अध्यक्ष थे तो किसानों की चिंता उनकी प्राथमिकता रही । आज ऐसी विभूतियों को हम सब लोगों ने खोया है। मैं इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वे अपने चरणों में उनको स्थान दें। साथ ही उनके परिवारों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की चार महान विभूतियां आज हमारे बीच में नहीं हैं। श्री हीरासिंह मरकाम जी, श्री पूरन लाल जांगड़े जी, श्री लाल महेन्द्र

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सिंह टेकाम जी, श्री घनाराम साहू जी, इन चारों में से तीन के संग तो सदन में बैठने और उनका सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिला है। श्री पूरन लाल जी से जरूर मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वे 48 साल पहले मध्यप्रदेश विधानसभा में चुने गये थे, लेकिन उनके बारे में लोग बताते हैं कि वे अपने समाज, पिछड़े वर्ग और पिछड़े क्षेत्र के लिये बहुत आवाज उठाते रहे हैं। श्री हीरासिंह मरकाम जी, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाले, आदिवासियों को संगठित करने और आदिवासी हितों की रक्षा के लिये आवाज उठाने वाले बहुत बड़े जननायक थे। उन्होंने अपना जो संगठन खड़ा किया था, उस संगठन की आवश्यकता हर राजनैतिक दल को चुनाव के समय में होती थी और वे अपना निर्णय लिया करते थे। उनके निधन से बहुत अपूरणीय क्षति हुई है। श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम जी, इस सदन में हम लोगों के साथ थे। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी अभी यहां हैं, वे भी उस वक्त आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जब थे तो टेकाम साहब हम लोगों के साथ माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में गये थे। आस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंड में हम लोग थे, क्रिकेट ग्राऊंड देखने गये थे, अचानक टेकाम जी, एक किनारे उझलकर कर, हुप करके बोल कर हाथ ऐसा करके किये, हम लोग बोले, क्या कर रहे हो, क्रिकेट में ऐसा कैच आता तो मैं यहां ऐसा पकड़ता। वे इतना जिंदादिल इंसान थे। उनके असामयिक निधन से हम सब लोग बहुत दुखी हैं।

घनाराम साहू जी बेहद सरल किसान पुत्र थे, छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध उनमें आती थी। उपाध्यक्ष महोदय, उनके संग एक वाक्यार हुआ था। बृजमोहन जी, नारायण चंदेल जी, अजय चंद्राकर जी, हम लोग सब, नार्थ ईस्ट के दौरे पर थे। शिलांग से चेरापूंजी जा रहे थे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी भी थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप ही तो नेतृत्व कर रहे थे। आप ही के नेतृत्व में गये थे। हम लोग चेरापूंजी एक बस और एक कार में जा रहे थे । वरिष्ठता के आधार पर हम लोगों ने कहा कि घनाराम जी और उनकी धर्मपत्नी उसमें बैठें। हम लोग बस में थे और शिलांग से जाते हुए इतनी जबर्दस्त धुंध थी कि उनकी पत्नी उस धुंध में घबरा गयीं, बोले या हमार कार गिरही तो पतो नई चलही। बोले इन मन तो मोटर मे हे पतो चल जाही। बीच में लाकर गाड़ी जहां रूकती है, वहां उतरकर वे अपनी पत्नी की इच्छा के अनुरूप इतने सीनियर विधायक होते हुए भी हमारे संग ही बस में आ करके बैठे, क्यों कि धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, खाई बहुत थी और बहुत गहरी खाई थी। इस प्रकार इतने सरल, सीधे और अच्छे लोग हमारे बीच से चले गये। इनके निधन से हम बहुत दुखी हैं और छत्तीसगढ़ को भी अपूरणीय क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। यही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री हीरासिंह मरकाम जी, श्री पूरन लाल जांगड़े जी, श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम जी, श्री घनाराम साहू जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री हीरासिंह मरकाम जी, शासकीय सेवा से त्यागपत्र देकर आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिये, आदिवासी समाज में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ उनको उस समाज को जो परिस्थितयां थी, उनसे आगे निकालने के लिये जल, जंगल, जमीन में आदिवासियों का कैसे हक दिलाने के लिये, शासकीय सेवा से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की और वे लगातार उस पार्टी का गठन करके लगातार पूरे देश में, आदिवासियों में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ उससे जुड़ने का काम किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ आदिवासी नेता 28 अक्टूबर, 2020 को हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना कहीं न कहीं हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। वे अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार वर्ष 1985 में विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने अविभाजित मध्यप्रदेश के तानाखार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इसके बाद वे इसी विधानसभा सीट से 1996, 1998 में विधायक चुने गये। हम लोगों को उनके तेरहवीं में जाने का मौका मिला। चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे मध्यप्रदेश से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, कोने-कोने से लोग उनके तेरहवीं के कार्यक्रम में आये थे। चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, सभी लोगों को प्रभावित करते थे। उनका जाना कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर अपने श्रीचरणों में जगह दे और इस दु:ख की घड़ी में परिवारजनों को दु:ख देने की शक्ति दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्व. श्री घनाराम साहू बालोद जिले के गुण्डरदेही विधानसभा सीट से तीन बार विधायक चुने गये थे। उन्होंने पहला चुनाव वर्ष 1972 में निर्दलीय के तौर पर चुने गये। वे भी शासकीय सेवा में थे और शासकीय सेवा, प्राचार्य पद से त्याग-पत्र देकर निर्दलीय चुनाव लड़ना उनके व्यक्तित्व को उजागर करता है। वे सभी समाज में लोकप्रिय थे। उनका साहू समाज में भी बहुत बड़ा प्रभाव था। उसके साथ-साथ 6 वर्षों तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और वर्ष 1998 के चुनाव में 69 हजार वोटों से जीत दर्ज की थी। वर्ष 1977 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 11 हजार वोटों से जीते थे। कहीं न कहीं उनका विशाल व्यक्तित्व था। उनका जाना हमारे लिए और समाज के लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्व. लाल महेन्द्र सिंह टेकाम राज परिवार से थे। वे वर्ष 2003 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से निर्वाचित हुए थे। उसके बाद वर्ष 2008 में उनकी पत्नि श्रीमती नीलिमा टेकाम को टिकट मिला था और उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। कहीं न कहीं हमारे बीच चारो महानुभाव नहीं रहे, मैं उन सभी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कई विभूतियों को खोया है। स्व. श्री हीरासिंह मरकाम जी, जो आदिवासी समाज के लिए एक आदर्श रहे। उन्होंने आदिवासियों के

लिए जीवन पर्यन्त लड़ाई लड़ा। हम लोगों ने उनके संघर्ष को देखा है। स्व. श्री पूरन लाल जांगड़े जी, मालखरौदा विधानसभा सीट से चुने गये थे, जो परिसीमन के बाद जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र बना, वह पूर्व में पहले उसमें सम्मिलित था। वे बहुत ही मिलनसार और लोगों के प्रति सार्थक पहल करने वाले व्यक्ति थे। श्री टेकाम जी, श्री साहू जी, समाज सेवा से जुड़कर राजनीति में आये। इन लोगों के हमारे बीच से चले जाना निश्चित रूप से राजनीति में पूरे प्रदेश के लिए कमी है। मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से इन विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के 4 महान विभूति, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे, स्व. श्री हीरासिंह मरकाम जी, स्व. पूरन लाल जांगड़ जी, स्व. लाल महेन्द्र सिंह टेकाम जी, स्व. श्री घनाराम साहू जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। स्व. श्री हीरासिंह मरकाम जी, जो गोड़ समाज से आते थे, उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपनी एक पहचान छोड़ी है, राजनीति में वह एक सफल राजनेता तो रहे ही एक सामाजिक नेता के रूप में भी उनकी छवि थी। उनके साथ एकाध बार हम लोगों को भी पदयात्रा करने का मौका मिला, जब उन्होंने जंगल सत्याग्रह शुरू किया था। स्वर्गीय जोगी जी और हीरासिंह मरकाम जी रायपुर जिले के गरियाबंद क्षेत्र में क्योंकि उस समय एक ही जिला था और उस समय देवभोग क्षेत्र में पदयात्रा कर रहे थे, तब हमने उनको बहुत करीब से देखा कि उन्होंने कितना सादगीपूर्ण जीवन जीया। उनके मन में जनसेवा, लोगों की पीड़ा को लेकर गहरा लगाव था। लगातार एक सप्ताह तक हमने उनके साथ पैदल यात्रा की थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्ति का राजनीति से चले जाना बहुत ही अपूरणीय क्षति है और समाज में वह कमी हमेशा बनी रहेगी। मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री पूरन लाल जांगड़े जी जो मालखरौदा और जैजेपुर से विधायक रहे, मैं उनके प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्व. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम जी जो कि हमारे साथ इस विधान सभा में विधायक के रूप में काम किए और वर्ष 2003 में पहली बार वह भी चुनकर आये थे और हम भी चुनकर आये थे और साथ में जो 5 साल काम किए, तो इतना सादगीपूर्व उनका जीवन और वह कितने सहज और सरल थे, वास्तव में एक राजपरिवार का होने के बाद भी इतना सरल व्यक्तित्व सहज ही आकर्षित करता था। आज वह हमारे बीच नहीं रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को संबल प्रदान करे और उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय स्व. श्री घनाराम साहू जी किसान नेता थे, गुंडरदेही क्षेत्र से विधायक रहे और पिछड़े वर्ग से आते थे। वह किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे और उन्होंने अपनी सेवाएं दीं। उनकी भी कमी हमेशा खलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन चारों महानुभावों को अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ऊं शांति।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सब सदन में पूर्व विधायकगण आदरणीय श्री हीरासिंह मरकाम जी, आदरणीय श्री पूरन लाल जांगड़े जी, आदरणीय श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम जी, आदरणीय श्री घनाराम साहू जी को इस सदन में श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए हैं, इन सबको मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। इन तीनों विधायकों के साथ मध्यप्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी काम करने का अवसर मिला था। श्री हीरासिंह मरकाम जी का जो व्यक्तित्व था वह काफी सादगीपूर्ण होता था लेकिन उसके विपरीत वह उतने ही संघर्षशील थे और आदिवासी समाज चाहे वह मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके हों या हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य इलाके हों उनका आदिवासी समाज में जबर्दस्त जनसमर्थन था और वह सदैव आदिवासी हितों के लिए संघर्ष करते रहे। उन्हें मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही श्री पूरन लाल जांगड़े, श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री घनाराम साहू जी से बहुत लंबे समय से मेरा संपर्क था। मैं पहली बार उनसे मिला तो सिर्फ इसलिए उनसे मिलने गया था कि उनके बारे में जब मैंने सुना कि ये 25 साल की उम्र में निर्दलीय चुनाव जीते हैं और वह भी उस समय हमारे दुर्ग जिले में राजनीति के जो सबसे बड़े विख्यात व्यक्तित्व थे, वासुदेव चंद्राकर जी उनको हराकर वह विधायक बने तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे मैं उत्सुकतावश ही उनसे मिलने उनके गांव जाकर उनसे पहली मुलाकात किया था। उसके बाद वह सन् 1977 में दोबारा विधायक बने। जब वर्ष 1972 में वह विधायक बने तब वह सिर्फ 25 वर्ष के थे, काफी कम वोटों से जीते थे लेकिन वर्ष 1998 में जब तीसरी बार विधायक बने तो वह काफी अधिक मतों से जीते थे। उस समय 69 हजार वोटों से जीतना, ये काफी बड़ी उनकी लोकप्रियता को साबित करता है कि वह अपने गुण्डरदेही विधान सभा में भी काफी लोकप्रिय रहे। वर्ष 1970-80 के दौरान लगभग मुझे याद आता है कि वह अविभाजित मध्यप्रदेश के साहू समाज के अध्यक्ष थे। सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनकी समाज में बड़ी भूमिका रही। राज्य विभाजन के बाद में कृषि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें काम करने का अवसर मिला था और उन्होंने किसानों के हितों के लिए लगातार काम किया है। आज बहुत ही सरल हृदय, व्यक्तित्व के धनी थे और उनका सानिध्य मुझे काफी लम्बे समय प्राप्त हुआ। आज वह हम सब लोगों के बीच में नही रहे। आज चारों पूर्व विधायकगणों को मैं अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

डॉ. रमन सिंह(राजनांदगांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने 4 वरिष्ठ साथी जो पूर्व विधायक भी रहे, उनको खोया है। माननीय हीरासिंह मरकाम जी, श्री पूरन लाल जांगड़े, श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, श्री घनाराम साहू जी, मैं इन सब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक हीरासिंह मरकाम जी गोंडवाना गणतंत्र परिषद् के संस्थापक थे और जैसा उनका व्यक्तित्व था। सीधा-सादा धोती पहनकर, उनके व्यक्तित्व के अंदर और उनके अंदर की जो दृढ़ता थी और एक विश्वास था समाज के प्रति और समाज के लोगों ने उनको जो सम्मान दिया, वह अपने आप में अद्भुत था, बिना किसी धन संग्रह, बिना किसी साधन, संसाधन के वह छत्तीसगढ़ में वर्ष 1985 में तानाखार से विधायक तो बने। वर्ष 1996-98 में भी विधायक बने और इससे बढ़कर उनका व्यक्तित्व इतना जबरदस्त था कि वह मध्यप्रदेश, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मण्डला, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोंदिया चले जाएं, पूरे महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में समान रूप से प्रभाव हजारों की भीड़, संख्या उनके साथ चलती थी और उनकी एक आवाज से पूरा का पूरा चुनाव प्रभावित होता था निश्चित रूप से हीरा सिंह जी मरकाम जी का व्यक्तित्व ऐसा था। वह पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जीते। बाद में उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाकर राष्ट्रीय स्तर में उसकी पहचान बनायी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी हानि है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक लाल महेन्द्र सिंह टेकाम जी वर्ष 2003 में विधायक चुने गये। वे राजपरिवार से आते थे, राजा थे मगर उतने ही सरल निष्छल और सादगी के साथ काम करने वाले लाल महेन्द्र सिंह टेकाम जी को हम याद करते हैं। पूर्व विधायक घनाराम साहू जी एक किसान और किसान के रूप में उनकी भूमिका थी। वे कांग्रेस पार्टी में रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ पदों में रहे, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, आयोग में अध्यक्ष रहे। गुण्डरदेही से 3 बार विधायक रहे। अभी उनको भारतीय जनता पार्टी में भी काम करने का अवसर मिला। लगातार मेरे साथ उनके संपर्क थे। किसानों के लिए उनका बहुत स्पष्ट और विचार, सोच और कार्ययोजना भी थी। इन तीनों विषयों को लेकर, उनसे काफी लम्बी चर्चा होती थी। स्वर्गीय पूरन लाल जांगड़े जनसंघ के मालखरौदा से विधायक थे। उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिवंगतों के सम्मान में अब सदन 2 मिनट का मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा खड़े रहकर दो मिनट का मौन धारण किया गया)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिए स्थगित।

(11.41 से 11.51 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
11:51 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कितने कृषकों द्वारा स्थाई/अस्थाई विद्युत पंप कनेक्शन के प्राप्त आवेदनों का निराकरण

1. (*क्र. 392) श्रीमती छन्नी चन्दू साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के अंदर खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कितने कृषकों द्वारा स्थाई/अस्थाई विद्युत पंप कनेक्शन के कितने आवेदन वर्ष 2018 से 30 नवम्बर, 2020 तक प्राप्त हुए? उक्त आवेदनों में से कितने को स्थाई/अस्थाई कनेक्शन प्रदान किया गया एवं कितने प्रकरण किन कारणों से लंबित हैं ? वितरण केन्द्रवार कृषकों की संख्या की जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) में लंबित आवेदनों का निराकरण कर कब तक कनेक्शन प्रदान कर दिया जावेगा, कृपया जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खुज्जी में प्रश्नाधीन अवधि तक सिंचाई पंप हेतु स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए 2,720 एवं अस्थायी पंप कनेक्शन हेतु 3,372 आवेदन प्राप्त हुये. इनमें से 579 आवेदकों को स्थायी कनेक्शन तथा सभी 3,372 आवेदकों को अस्थायी कनेक्शन जारी किये गये. स्थायी पंप कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों में से 422 आवेदन कृषकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण नहीं करने के कारण निरस्त किये गये. वर्ष 2018 से दिनांक 30 नवम्बर 2020 तक खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के स्थायी पंप कनेक्शन के कुल 1,719 आवेदन लंबित थे. उक्त आवेदनों में से वरीयता क्रमानुसार लक्ष्य की सीमा में पंप कनेक्शन के कार्य किये जा रहे है. स्थायी एवं अस्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन, जारी किये गये कनेक्शन एवं लंबित आवेदनों के संख्या की वितरण केन्द्रवार जानकारी † संलग्न[1] परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) वर्ष 2020-21 के लिये राजनांदगांव जिले के लिये पंप ऊर्जीकरण हेतु आबंटित 1,000 पंप के लक्ष्य के विरूद्ध विधानसभा क्षेत्र खुज्जी के लंबित पंप आवेदनों में भुगतान तिथि वरीयता अनुसार 74 पंप का कार्य 31 मार्च 2021 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास है. शेष लंबित पंपों के कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने के प्रयास है.

[1] परिशिष्ट- "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कृषकों द्वारा स्थाई/अस्थाई विद्युत पंप कनेक्शन के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसमें मेरे प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी गई है कि किसानों द्वारा स्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए दिये गये आवेदनों की कुल संख्या 2,720 है जिसमें से 579 आवेदनों का निराकरण हुआ है, शेष स्थाई पंप कनेक्शन के कुल 1719 आवेदन लंबित हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि यह जो 1719 किसानों के आवेदन लंबित हैं, उनको कब तक विद्युत कनेक्शन मिल जायेगा?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल हम लोगों को मार्च तक 74 पंप का कार्य करना है और उसके बाद फिर अगले वित्तीय वर्ष में उसको प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि एक-एक किसान लगभग एक लाख से डेढ़ लाख रुपये तक का डिमांड के रूप में दो-दो साल से पटा चुके हैं, लेकिन जो टारगेट आता है, जैसे 3 हजार किसान हैं और 500 किसानों को देने का टारगेट आता है। इसके कारण बहुत ज्यादा किसान वंचित हो जाते हैं। यदि ज्यादा टारगेट आयेगा तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को पंप कनेक्शन मिल जायेगा। इसमें अस्थाई पंप कनेक्शन का जीरो बता रहे हैं। आज भी मेरे खुज्जी विधानसभा में कई किसान अस्थाई पंप कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं। वह बिजली विभाग के आफिस में जाते हैं तो उनको जानकारी दी जाती है कि लो-वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर लोड नहीं उठा जायेगा, यही जवाब आता है। इसलिए कई किसान अस्थाई पंप कनेक्शन के लिए भटकते रहते हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद कर्ज माफी की वजह से पूरे किसान अपने खेतों में बोर करवायें हैं। जब तक उन लोगों को विद्युत कनेक्शन नहीं मिलेगा, किसान अच्छे से खेती नहीं कर पायेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट बढ़ायें। अस्थाई कनेक्शन के लिए अधिकारी लोग किसानों को भटकाते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अस्थाई कनेक्शन भी मिले। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी थी कि हमारे विधानसभा में छुरिया में 33 के.व्ही. की लाईन आ जायेगी तो गर्मी के दिनों में जो लो-वोल्टेज की समस्या रहती है, वह कम हो जायेगी। मैंने बगनीचारभांटा के लिए सब स्टेशन के लिए भी आवेदन दिया था।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्वयं ही बताया है कि 3372 अस्थाई पंप कनेक्शन दिये गये हैं और अभी अस्थाई का आवेदन जीरो बताया जा रहा है। यदि आपके पास कोई जानकारी है तो बता दें, उसको परीक्षण करा लेंगे और अस्थाई कनेक्शन देने में यदि वहां पर बिजली के खंभे होंगे, ट्रांसफार्मर में लोड होगा तो निश्चित रूप से अस्थाई कनेक्शन दे दिया जायेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही बात आती है, मैं कहना चाहती हूं कि अस्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए किसान जब बिजली ऑफिस जाते हैं तो उनको भटकना पड़ता है, इसलिए वह जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। वह हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोगों को भी बोलने का अवसर नहीं रहना चाहिए कि किसानों को क्यों कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा अस्थाई कनेक्शन भी मिले और टारगेट ज्यादा बढ़ायें ताकि किसानों को लाभ मिले।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि अस्थाई विद्युत पंप कनेक्शन के लिए कोई भी आवेदन देगा तो अस्थाई कनेक्शन तुरंत दिया जायेगा। क्योंकि पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में पंप कनेक्शन के मामले लंबित हैं और किसान परेशान हैं। सत्तापक्ष की विधायक इस बात को कह रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि अस्थाई कनेक्शन का एक भी मामला लंबित नहीं होगा और स्थाई कनेक्शन भी इतने दिन में दे दिये जायेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी प्रार्थना है कि 200 का टारगेट है, अभी हमारा 2018 का केस बचा हुआ है। अगर टारगेट बढायेंगे तभी हम 2019-20 का ही कर पायेंगे। इसका टारगेट बढाने के लिए मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि आप सब जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया है और उसमें स्पष्ट उत्तर...।

श्री अजय चंद्राकर :- जब प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी का हो तो अवसर तो मिलना ही चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, अस्थायी कनेक्शन और किसानों को कनेक्शन मिलने के बारे में आज की प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं । संयोग से आप हैं, मेरे प्रश्न के उत्तर में पांचवें नंबर में आपने कहा है कि 93,000 अस्थायी कनेक्शन हैं और बजट केवल 100 करोड़ रूपए का है तो यदि 93,000 को आप तत्काल देंगे तो 900 करोड़ रूपए आपको लगेंगे, यह 94,995 है । चाहे श्रीमती छन्नी जी हों, चाहे श्री दलेश्वर जी हों, चाहे हम लोग हों और आपने तो अपने आपको किसानों का ब्राण्ड एम्बेसडर बना लिया है तो इसलिए 94,000 को इसी साल स्थायी कनेक्शन दिया जायेगा, मैं यह घोषणा आपसे सदन में करने का सबकी ओर से समवेत् स्वर में आग्रह करता हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या ब्राण्ड एम्बेसडर बनने से आपको कोई शिकायत है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो हमारे होने से ही तकलीफ है । श्री अजय जी, अब किसान हैं, किसानों को यानी देशी घी को प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती ।

श्री अजय चंद्राकर :- खैर प्रचार तो आप हर चीज की कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए । आप घोषणा कर दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- मैं बोल रहा हूं तो कम से कम आप अब तो बैठ जाइए । आप तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी हैं, संयोग से हैं तो कम से कम आप सुनने का धैर्य भी रखें । आप वरिष्ठ सदस्य हैं और मैंने पहले ही कहा कि देशी घी को प्रचार की जरूरत नहीं है । हम किसान हैं, किसान के रूप में पैदा हुए और किसान के रूप में ही हमारी मृत्यु होगी तो आप उसकी चिंता न करें और हमें ब्राण्ड एम्बेसडर बनने की आवश्यकता नहीं है । दूसरी बात आपने जो कही कि जो आपने 93,000 कहा लेकिन मैं आपकी जानकारी सुधार दूं कि 94,950 अस्थायी कनेक्शन हैं । यह सतत् प्रक्रिया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- पहले वह प्रक्रिया नहीं होती थी ।

श्री भूपेश बघेल :- अब आप बैठे-बैठे कमेंट करेंगे तो ध्यान तो उधर जाएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने उत्तर की इसके पहले की लाईन भी पढ़ लीजिए । 33,648 औपचारिकताएं पूर्ण लंबित हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- पहले एक का उत्तर तो देने दीजिए । मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आप उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जी ।

श्री भूपेश बघेल :- आप उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, पूरा सुनना चाहते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं एक का उत्तर दे रहा हूं तो ये बैठे-बैठे कमेंट कर रहे हैं। दूसरा मैंने शुरू नहीं किया कि आप खड़े हो गए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, मैंने तो आपसे निवेदन किया कि आप उसके पहले की लाईन भी पढ़ लें, मैंने तो यही निवेदन किया ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप उत्तर देने दीजिए ।

श्री भूपेश बघेल :- कृपा करके आप बैठें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो इस साल 4 लाख 53,499 स्थायी कनेक्शन हमारे छत्तीसगढ़ में हैं और 94,950 अस्थायी कनेक्शन हैं और यदि वर्षवार भी देखेंगे तो मान लो वर्ष 2017-18 में भी 4 लाख 2,000 स्थायी कनेक्शन थे । उस समय भी अस्थायी कनेक्शन 82,000 थे तो हर वर्ष इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं । स्थायी कनेक्शन के अलग आवेदन आते हैं और अस्थायी कनेक्शन के अलग आवेदन आते हैं उसके हिसाब से कार्यवाही होती है और जैसे-जैसे आवेदन आयेंगे अस्थायी कनेक्शन ...।

श्री अजय चंद्राकर :- 100 करोड़ रूपए ।

श्री भूपेश बघेल :- आपने अस्थायी को स्थायी करने के लिये कहा । यह न कभी हुआ है और न अभी होगा । स्थायी के लिये अलग आवेदन आता है और अस्थायी के लिये अलग से आवेदन होते हैं । यह प्रकिया पहले भी रही है और अभी भी यही प्रक्रिया है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- सब समस्या का हल जब तक आप 100 करोड़ रूपए को ऊपर नहीं करेंगे, 37,000 को मानेंगे तो 400 करोड़ रूपया चाहिए । वह नहीं करेंगे तो केवल यह भाषण होगा ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी.एम. साहब जवाब दे रहे हैं । मैं उनसे केवल एक आग्रह करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब एक दिन के लिये पेण्डिंग नहीं रहा यह आपके जवाब में आया है । आप जैसे मुख्यमंत्री बने और किसानों के हितैषी हैं और उसके बाद पेण्डेंसी बढ़ते चली गयी । मैं एक लाईन में आग्रह करना चाहता हूं कि जो आपने 34,000 लगभग पम्प के कनेक्शन के स्थायी आवेदन हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या इस वर्ष उन सारे किसानों को कनेक्शन आप देंगे और उसके लिये कोई वेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे किसानों को लाभ मिले ।

श्री भूपेश बघेल :- आपके शासनकाल में तो लक्ष्य भी तय नहीं होता था । हमारे शासन में आने के बाद कम से कम लक्ष्य तो तय रहता है और उसके हिसाब से हम दे रहे हैं । चाहे 15,000 का लक्ष्य तय करें या 10,000 का करें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नो वेटिंग में रहा, कभी वेटिंग नहीं रहा ।

श्री भूपेश बघेल :- वेटिंग आपके शासनकाल में रहा, आगे भी रहेगा । कनेक्शन मान लो मांगते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री भूपेश बघेल :- आप सुन तो लीजिए । नेता जी इतना अधैर्य क्यों हो रहे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने उसमें संशोधन करके बोला कि वेटिंग नहीं रहा।

श्री भूपेश बघेल :- नेता जी इतना अधैर्य मत होइए । उपाध्यक्ष महोदय, वेटिंग कैसे नहीं होगा, आवेदन आयेंगे उसका परीक्षण होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- सभी किसानों को कनेक्शन मिलना चाहिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह महत्वपूर्ण विषय है और जवाब आ ही नहीं रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त। औपचारिक बिजनेस सम्पादित करना है । डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- बजट में राशि को बढ़ाने की घोषणा करें और यह भी कि सभी को कनेक्शन दिया जाएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 33648 किसानों ने औपचारिकता पूरी कर दी है । इन 33648 किसानों को कनेक्शन मिलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर आ चुका है । प्रश्नकाल समाप्त भी हो चुका है ।

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी से निर्देशित करिये ।

श्री अमितेश शुक्ल :- उपाध्यक्ष महोदय, इनसे यह पूछा जाए कि भाजपा के समय में कितना था, आप पहले अपने 15 साल का रिकॉर्ड बताइए । फिर हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे ?

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाए गए)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसानों की उपेक्षा के विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं ।

समय :
12:01 बजे

बहिर्गमन

किसानों की उपेक्षा के विरोध में

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया ।)

श्री भूपेश बघेल :- प्रश्नकाल समाप्त हो गया । अगला कार्य शुरू हो गया और अब ये बहिर्गमन कर रहे हैं । अब तक सोए थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । विगत् दो सत्रों में हम संसदीय सचिवों के विषय में प्रश्न उठाते रहे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपको पता है कि अभी औपचारिक बिजनेस संपादित करना है और पत्रों का पटल पर रखा जाना है । उसके बाद आप अपनी बात कह लीजिएगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:02 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के अंकेक्षण प्रतिवेदन

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 पटल पर रखता हूं ।

राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के अगस्त, 2020 सत्र में पारित कुल 12 विधेयकों में शेष बचे कुल 3 विधेयकों में से 2 विधयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है । अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण प्रमुख सचिव, विधान सभा सदन के पटेल पर रखेंगे ।

प्रमुख सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- पंचम विधान सभा के अगस्त, 2020 सत्र में पारित कुल 12 विधेयकों में शेष बचे कुल 3 विधेयकों में से 2 विधयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है । जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयकों के नामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

सभापति तालिका की घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

श्री सत्यनारायण शर्मा

श्री धनेन्द्र साहू

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

श्री शिवरतन शर्मा

श्री देवव्रत सिंह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो विषय हैं । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सुन लीजिएगा । एक तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उसके बाद विशेषाधिकार का प्रश्न है । उपाध्यक्ष महोदय, विगत् दो सत्रों से संसदीय सचिव के बारे में हम व्यवस्था का प्रश्न उठाते रहे और उसमें यह था कि माननीय उच्च न्यायालय ने, जिसमें याचिकाकर्ता हमारे एक कानून मंत्री भी थे, तत्कालीन समय के याचिकाकर्ता । उसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश आ चुके हैं । आज की स्थिति यह है कि अखबारों में रोज छप रहा है । आज ही के अखबार में छपा है कि एक संसदीय सचिव जो वन विभाग के हैं, वे कहां निरीक्षण करने गए थे । एक को स्वास्थ्य विभाग का संसदीय सचिव बोलते हैं । एक को पीडब्ल्यूडी विभाग का संसदीय सचिव बोलते हैं । उनके वेतन भत्ते, उनके जनसम्पर्क और बैठक में उनकी उपस्थिति की वैधता, उनके अधिकार, उनके दायित्व, उनके कर्त्तव्य। माननीय आसंदी ने आपने दो बार निर्देश दिया और मेरा विशेषाधिकार का इसी में प्रश्न है, जो आगे मैं इस व्यवस्था के प्रश्न के बाद बोलूंगा। उन्होंने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया। संसदीय इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी कि आसंदी की व्यवस्था को अपने ढंग से परिभाषित किया जाये और आसंदी के दो बार कहने के बावजूद इस सरकार ने आसंदी की अवमानना की। मैं आपसे आसंदी के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि संसदीय सचिवों (parliamentary secretaries) की वर्तमान में वस्तुस्थिति क्या है? आपने जो व्यवस्था दी है और आपने जो निर्देश दिये हैं, उसमें सरकार का क्रियान्वयन क्या है? एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इस विषय को पिछले तीन सत्रों से उठा रहे हैं कि जो संसदीय सचिव हैं, वे इस विधान सभा के सदस्य हैं और इस विधान सभा के सदस्य होने के नाते इस विधान सभा को यह जानने का अधिकार है कि संसदीय सचिवों को क्या अधिकार हैं? उनके क्या कर्त्तव्य हैं? उनको क्या सुविधाएं हैं? उनके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है? हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में शासन को आधिकारिक आदेश जारी करना था। उन्होंने आज तक आदेश जारी नहीं किया। माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी के दो बार निर्देश के बाद भी उसके बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया। हमारे इस सदन के सदस्य 13 लोग, जिनके बारे में है कि न वे विधायिकी का कर्त्तव्य पूरा कर पा रहे हैं और न वे सरकार के कर्त्तव्य को पूरा कर पा रहे हैं। ऐसे समय पर यह माननीय आसंदी की जिम्मेदारी है कि आसंदी उनके अधिकारों को दिलवाये। उनके कर्त्तव्यों को परिभाषित करे और उनके बारे में पूरे सदन को पूरे प्रदेश को जानकारी मिले। मुझे तो इन 13 माननीय लोगों के बारे में बेचारा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब हम लोग इस विधान सभा में विषय उठाते हैं तो वे लोग धन्यवाद देते हैं कि भैय्या आपने अच्छा किया। हमें खुद को नहीं मालूम है कि हमारे क्या अधिकार हैं? हमारे क्या कर्त्तव्य हैं? हम क्या कर सकते हैं और

क्या नहीं कर सकते हैं और इसके बारे में निर्णय होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा इसके बारे में जल्द से जल्द..।

समय :
12.07 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- बृजमोहन भैय्या, आपके शासनकाल में कुत्ता रेस्ट हाउस के अंदर सोता था और सदस्य लोग बाहर बैठे रहते थे। क्या यह आपको मालूम है? यह भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया और जिससे तुलना की है, वह असंसदीय है और औचित्यपूर्ण नहीं है। उसको सदन की कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। उसको सदन की कार्यवाही से निकाल देना चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं-नहीं, मैंने यह कहा कि आपकी सरकार में कुत्ता रेस्ट हाउस के अंदर सोता था और सदस्य लोग बाहर बैठे रहते थे। उन्हें रूम नहीं मिलता था। यह सदस्यों की स्थिति थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी ने जिन शब्दों को कहा, उसे निकाल देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि इस सदन के सभी सदस्यों को सम्मान मिलना चाहिए। इस सदन के सदस्यों के अधिकार, कर्त्तव्य, काम करने के तरीके, हमारी नियम-प्रक्रिया संचालन की किताब में इस बात का उल्लेख है, परंतु संसदीय सचिवों के क्या नियम कर्त्तव्य पालन होंगे, यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं है और इसलिए हाईकोर्ट ने उन निर्देशों के साथ में कहा माननीय संसदीय सचिवों के क्या नियम कर्त्तव्य पालन होंगे यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं है और इसलिए हाईकोर्ट ने उन निर्देशों के साथ में कहा। माननीय अध्यक्ष जी ने उन निर्देशों के साथ कहा कि शासन इसके बारे में आदेश जारी करे, परंतु दो-दो बार निर्देश के बाद भी आदेश जारी नहीं होना, सभापति जी, यह उस चेयर का अपमान है जहां पर आप बैठे हैं कि उनके निर्देशों का पालन नहीं करना। यह आपका अपमान है और इसके बारे में आपको निर्देश जारी करना चाहिए कि तत्काल इसी सत्र में आज ही वह निर्देश और आदेश जारी करे, जिससे कि सभी सदस्यों को जानकारी हो सके। हम आपसे इस बात का आग्रह करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- और आपका अपमान किसी भी रूप में सहन नहीं किया जायेगा।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय बृजमोहन जी ने अभी जो बात कही कि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी करने आदेश दिया है। इस प्रकार का कोई निर्देश जारी करने का माननीय उच्च न्यायालय से कोई आदेश नहीं है, एक बात। दूसरा, यह कि जहां तक आसंदी का प्रश्न है और उन्होंने जो निर्देश दिया है तो पिछले विधान सभा सत्र में भी आपने यह बात उठायी थी। अगले सत्र में क्या-क्या अधिकार हैं, यह जानकारी देने का निर्देश प्राप्त हुआ था और आज

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सत्र का पहला दिन है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि उन्हें क्या-क्या अधिकार हैं, इसे मैं पढ़कर सुना देता हूं। आप सुन लो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सुनना नहीं है। आप निर्देश जारी करिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- ऐसा कोई आदेश नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप निर्देश जारी कीजिए। यह सदन के सदस्यों का अपमान है।

श्री मोहम्मद अकबर :- ऐसा कोई आदेश नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सदन के सदस्यों का अपमान है।

श्री मोहम्मद अकबर :- ऐसा कोई आदेश नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय..।

सभापति महोदय :- देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं, आप लोग बैठ जाईए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, जिस बात को मोहम्मद अकबर जी बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट का क्या निर्देश है, मैं पढ़कर सुना देता हूं । उस निर्देश को सुनने के लिए हमने आपसे बात नहीं की है । आसंदी का जो निर्देश जारी हुआ कि वास्तव में आपने संसदीय सचिव बनाया है, वे आज प्रश्न नहीं लगा पा रहे है, वे जवाब नहीं दे पा रहे हैं । उनको क्या सुविधाएं हैं, क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, वे खुद नहीं समझ रहे हैं । हाईकोर्ट का निर्देश सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आप उनके लिए क्या व्यवस्था करना चाहते हैं, गाईड लाईन के अनुसार, जो हाईकोर्ट का निर्देश है, उसके अनुसार आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं ? आप लिखित में निर्देश जारी करें और जारी करके विधान सभा के सभी सदस्यों को अवगत कराएं और इसके बाद में मुझे यह लगता है कि सारे सदस्यों को यह मालूम हो जाएगा कि हमारा अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है ? इस बात को हमने दो-तीन बार सदन में उठाया, लेकिन वह स्पष्ट नहीं हुआ है और आज भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, जिस प्रकार से मंत्री जी बात कर रहे हैं । आप निर्देशित कीजिए । कम से कम आसंदी का सम्मान हो । यह आसंदी का अपमान हो रहा है और आसंदी का अपमान बिल्कुल उचित नहीं है । इसलिए हाईकोर्ट के निर्देश को आप हमें न बताएं, वह हमें मालूम है । आप यह बताईए कि सरकार ने क्या निर्देश जारी किया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आसंदी के निर्देश को एक बार पढ़ लें। लिखित में आदेश जारी करने का कोई निर्देश नहीं है । मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप देख लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह तो आसंदी का अपमान है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, कोई अपमान नहीं है, कहां अपमान है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह पूरे सदस्यों का अपमान है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- क्यों अपमान है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम सबकी उपस्थिति में माननीय अध्यक्ष जी ने दो बार कहा कि अध्यक्ष जी इनको क्या कहेंगे ? [XX][2]

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं यह कहता हूं कि लिखित में निर्देश देने का कोई ऐसा निर्देश नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, अध्यक्ष जी के जिस प्रकार के निर्देश हैं...

श्री मोहम्मद अकबर :- ऐसा कोई निर्देश नहीं है ।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, यह जो आप बोल रहे हैं कि [XX] शब्द को मैं विलोपित करता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये हम लोगों का अपमान, इस सदन का अपमान है। मेरी समझ में कोई सरकार इतनी निरीह हो जाए, कोई सरकार इतनी अपाहिज हो जाये कि सरकार को एक आदेश जारी करने में तकलीफ हो....

श्री मोहम्मद अकबर :- सरकार कोई निरीह, कोई अपाहिज नहीं है, सरकार सक्षम है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार को एक लिखित आदेश जारी करने में किसी प्रकार की परेशानी हो ।

श्री मोहम्मद अकबर :- सरकार सक्षम है, कोई निरीह नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सरकार सक्षम नहीं है, अभी तक आदेश जारी कर देती । हमारे इस सदन के 14 सदस्यों को यह मालूम नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनको क्या करना है और उनके साथ में अपमान हो रहा है और उनके बारे में सरकार एक निर्देश जारी नहीं कर सकती । सरकार को निर्देश जारी करने में क्या दिक्कत है ? माननीय विधि मंत्री जी बार-बार इस सदन को घूमाने की कोशिश करते हैं । मंत्री जी, आप तो सक्षम मंत्री हैं, आप पढ़े-लिखे हैं, आप समझदार हैं । आप विधि मंत्री हैं । आपको आदेश जारी करने में क्या दिक्कत है, आदेश जारी क्यों नहीं हो रहा है ? आप परम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आदेश जारी करने में क्या दिक्कत है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- आप मेरी बात सुन तो लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आदेश जारी करने में क्या दिक्कत है ?

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, मंत्री जी क्या कह रहे हैं, उसको सुन लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम चाहते हैं, वे कहें कि मैं इस तारीख को निर्देश जारी करूंगा ।

सभापति महोदय :- आप सुनेंगे, तब तो । वे क्या कह रहे हैं, वह तो सुन लीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया.

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, एक मिनट । आपने संसदीय सचिव बनाये हैं, यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है । इसमें हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है । तकलीफ अभी संसदीय सचिवों को ही है । न वे मंत्री हैं, न वे विधायक हैं। इस सदन में मेरी याददाश्त ठीक है तो आपने ही कहा था कि वे सिर्फ हमारे सहायक हैं । एक-दो संसदीय सचिवों ने बताया कि हमें फाईल छूना तो छूना, हमें फाईल देखने का भी पावर नहीं है । आप लोग तो उनको फाईल छूने भी नहीं देते, देखने भी नहीं देते ।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- पहले ये लोग छूने देते थे क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके अधिकारी जो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, हर जिले में बैठे हुए हैं । आखिर वे संसदीय सचिवों को किस दर्जे में, किस तरीके से उनका सम्मान करें या उनको सहयोग करें । जब तक आपका जी.ए.डी. का सरक्यूलर जारी नहीं होगा कि इनको राज्यमंत्री का दर्जा समझकर बात करिए, इनको सलामी देना है, समझकर बात करिए । इनके आगे-पीछे गाड़ी चलाना है या नहीं चलाना है ? इनके बंगले में 10-20 आदमी रखना है या नहीं रखना है ? यह जो उनके अधिकार हैं, उस अधिकार के बारे में अगर आप एक स्पष्ट नीति बनाकर सरक्यूलेट कर देंगे, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और सरकार उसमें कहीं छोटी भी नहीं होगी । क्योंकि जो माननीय संसदीय सचिव बने हैं, वे भी इस सदन के सम्मानीत सदस्य हैं । उनके मान और सम्मान का ख्याल रखना आपका काम है । अब आप लोग उनको फाईल छूने नहीं देते हो और उनको अधिकार है, अधिकार है, बोले जा रहे हो । स्पष्ट रूप से सरक्यूलर जारी कर दीजिए, उसमें सभी के लिए ठीक रहेगा । हम लोग भी उस सरक्यूलर को पढ़ लेंगे तो बार-बार नहीं पूछेंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, माननीय धर्मजीत जी से आग्रह है कि दूसरे दल की तरफ तांक-झांक करना छोड़िए, अपना दल देखिए कि आपके दल में क्या-क्या हो रहा है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी दल की बात नहीं है । मैं सदन में इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि दो-तीन बार इस मामले में उठा लिया गया । स्वयं संसदीय सचिव भी बहुत ही पशोपेश में रहते हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धर्मजीत भैया, वे कोई पशोपेश में नहीं है, तै काबर चिन्ता करथस, ओकर चिनता हमन करबो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमको लगता है कि उनके आगे फॉलो गार्ड चल रही है या नहीं, पहले चलता था।

सभापति महोदय :- माननीय विधि मंत्री जी, अपनी बात करिये। धर्मजीत जी आपकी बात आ गयी।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप जरा स्पष्ट कर दीजिए ताकि हम उसी हिसाब से उनसे बात करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ना ही माननीय उच्च न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- उच्च न्यायालय का कोई विषय ही नहीं बोला है।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप सुन तो लीजिए। (व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- यह तो गलत बात है, यह तो गलत बात है। मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब देने नहीं दिया जायेगा और बार-बार व्यवधान करेंगे और आप जैसा चाहो, वैसा उत्तर दें, ऐसा कभी नहीं होता। आप भी रहे हैं। आप बैठिये, आप बैठिये।

(श्री अजय चंद्राकर द्वारा खड़े होने पर)

सभापति महोदय :- मेरी अनुमति के बगैर कोई बोलेगा तो वह कार्यवाही कार्यवाही में नहीं आयेगा।

श्री भूपेश बघेल :- आप बैठिये न, मैं जब खड़ा हूं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मेरी अनुमति के बिना कोई भी बोलेगा, वह कार्यवाही में नहीं आयेगा। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- ये तरीका है ? आप जैसा चलाओगे, वैसा चलेगा? ये गलत है। आप गलत बात कर रहे हो, आप जैसा चलाओगे, वैसे ही चलेगा ? आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। आपका व्यवहार ठीक नहीं है। इस प्रकार से नहीं चलेगा। इस प्रकार से नहीं होता। नहीं-नहीं, इस प्रकार से नहीं होगा। ये हर बार इस प्रकार से करेंगे ? ऊंचे आवाज में बोलने का क्या अधिकार है? आप हमको यह सलाह मत दीजिये, हमको पता है। जब ट्रेजरी बेंच से जवाब आ रहा है तो जवाब नहीं देने दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- बैठिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप आवेश में बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप आवेश में बात कर रहे हैं। आवेश में आप बात कर रहे हैं। हम लोग उत्तर दे रहे हैं, उत्तर देने नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप उत्तर नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा ? (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, यदि सदन के नेता उत्तर दे रहे हैं तो सदन की गरिमा होती है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि ढाई साल जैसे-जैसे ढाई साल नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी...।(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- शिवरतन जी, उसकी चिंता मत करिये, आप अपनी चिंता करिये। आप 15 जीतकर आ गये 14 रह गये। आप सदन में कहां रहेंगे। अगले चुनाव में कहां रहोगे, आप उसकी चिंता करो। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- यह आपका अधिकार नहीं है, कौन सदस्य बोलेगा, कौन सदस्य नहीं बोलेगा ...।(व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- ये अधिकार नहीं है। यह आपका अधिकार नहीं है कि आप आप इस तरह से बात करें। आप इस प्रकार से बोलेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये-बैठिये।

श्री भूपेश बघेल :- हर बात का यही तरीका है। आप ढाई साल की चिंता मत करो। आप अगले समय कहां रहोगे, इसकी चिंता करो। आप पहले बोलते थे न कि दो बेंच में रह जाओगे, आपकी स्थिति है और अगले समय कहां रहोगे आप इसकी चिंता कर लो ? (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, सदन का नेता....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिए जाईये। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता...(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप बोलेंगे तो उचित नहीं है न। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ये मन हमन ला कानून बतात हे, डिसीप्लीन बतात हे। अइसे करना चाहिए (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता हैं, सदन की गरिमा है। सुनना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता को आवेश में नहीं आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- नहीं।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आवेश में लाने का काम आप लोगों ने किया है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- बृजमोहन जी, हम आवेश में नहीं आये हैं। आप बोले तो ठीक है और हम बोल रहे हैं तो आवेश में आ गये। हम आवेश में नहीं हैं। लेकिन ट्रेजरी बेंच से जवाब देना चाह रहा है तो उसे आप इन्टरप्ट करेंगे, यह तरीका नहीं है। एक विषय को आप सब लोगो ने उठा लिया। आप जवाब देने देंगे या नहीं देंगे। आप जवाब देने देंगे या नहीं देने देंगे ? आज जवाब भी नहीं देंगे ?

सभापति महोदय :- आप बैठिए। बृजमोहन जी, आप बैठिए। विधि मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं सदन की तरफ से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम वे आवेश में न आये। अगर वे आवेश में आयेंगे...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- मुख्यमंत्री जी आवेश में नहीं आये हैं। आवेश में नहीं आये हैं। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आवेश में नहीं आये थे। आप लोग सुन नहीं रहे थे, इसलिए सुना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर वे आवेश में आयेंगे, यदि सत्ता पक्ष आवेश में आयेगा तो यह सदन चल नहीं पायेगा। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, सदन की भी गरिमा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये, शिवरतन शर्मा जी, बैठिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने संसदीय कार्य मंत्री के (व्यवधान) इसलिए वे पीछे नहीं छोड़ रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी।

श्री अमरजीत भगत :- ये तीनों में competition है।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, आदरणीय अजय चंद्राकर जी, लगातार लंबे अर्से तक संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। धरमलाल कौशिक जी हमारे आसंदी में विराजमान हुआ करते थे। इस सदन की मान्य परंपरा है कि सदन के नेता अगर खड़े हैं तो हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी जब खड़े होते हैं, तो समूचा सदन उनका सम्मान करता है। किसी बात को लेकर माननीय सदन के नेता अपनी बात कह रहे हैं तो अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ भी हैं, विद्वान भी हैं और आपको बहुत लंबा अनुभव भी है। आप इतना क्यों उत्तेजित हो जाते हैं ? उत्तेजना में ये सारी बातें होती हैं। आपने कहा, अगर आपको माननीय उच्च न्यायालय की बात नहीं, तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने क्या कहा, उसके आधार पर चाहते हैं कि स्पष्टीकरण हो। अगर आप देखेंगे, पिछली विधानसभा सत्र में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा है। उनका आखिरी लाईन है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, और उसी को माननीय विधि मंत्री पढ़कर सुना रहे थे। आप सुन तो लेते ? अचानक इतनी उत्तेजना किस बात की है ? इसलिए आदरणीय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पहले माननीय विधि मंत्री जी को सुन ले। किसी चीज में, किसी भी विषय पर अगर माननीय सदन के नेता इन्टरप्ट कर रहे हैं, तो हम सबको उनकी बात सुननी चाहिए। मैं आपसे इसी बात का आग्रह करता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- रोज अकबक की गोली खाकर आते हैं। अकबक की गोली होती है, उसको खाकर आते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- विधि मंत्री जी को सुन लीजिये।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- सभापति महोदय, कभी भी खड़े हो जाते हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, जो आसंदी का निर्देश है, उसके अनुरूप ही मैं यहां अपनी बात प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन माननीय सदस्यों ने बार-बार माननीय उच्च न्यायालय का हवाला दिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि लिखित में राज्य सरकार आदेश जारी करेगा, ऐसा आसंदी से निर्देश हुआ है। माननीय सभापति महोदय, ऐसा कोई निर्देश नहीं हुआ है। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं। राज्य शासन को इस प्रकार का कोई आदेश जारी करना है, ऐसा इस प्रकार का न माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है और न आसंदी से हुआ है, एक बात।

दूसरा यह कि आपके समय भी संसदीय सचिव थे। ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई लिखित में निर्देश जारी करना पड़े कि आपको क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है। जहां तक अधिकारी की बात है, आसंदी से निर्देश हुआ था कि अगले सत्र में आप इसकी जानकारी दे दें। मैं वह पढ़कर सुनाता हूं। यदि आप कहे तो सुन लीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि आप इसकी जानकारी लिखित में सर्कुलर के रूप में जारी करें, जिससे हमारे सदस्यों का सम्मान हो। देखिये, जो माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी की भावना थी, उनकी भावना थी कि आप एक सर्कुलर जारी कर दें, जिससे सदन के माननीय सदस्यों के, सबके काम आये। देखिये, आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूं। अगर हमको सदन को घुमाना है, सदन में एक-एक शब्द की बाल की खाल निकालना है, तो बात अलग है। परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको समझ रहे हैं, बाकी सब सदस्य भी समझ रहे हैं। दोनों बार माननीय सभापति जी, आप बैठे हैं। आप भी वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की भावना थी कि सरकार कोई ऐसा सर्कुलर निकाल दे, जिससे हमारे उन 13-14 सदस्यों का सम्मान हो सके। उनको देश, प्रदेश में क्या अधिकार है, उनका क्या दायित्व है और क्या कर्तव्य है ताकि वे स्पष्ट रूप से काम कर सकें। उनको अपमानित न होना पड़े। यह माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की भावना थी। हम चाहते हैं कि उसी भावना के अनुरूप जो बात आप सदन में कह रहे हैं, उस को सर्कुलर जारी करने में क्या दिक्कत है ? आप सर्कुलर जारी क्यों नहीं कर देते हैं ? उसमें क्या परेशानी है ? सरकार रोज सौ सर्कुलर जारी करती है, आप एक सर्कुलर और जारी कर दीजिये। यह सदन की भावना है कि हमारे सदन के सदस्यों का सम्मान बना रहे, इसके लिए आप सर्कुलर जारी कर दें, इस बात का आग्रह है।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के पूर्व भी यहां संसदीय सचिव विद्यमान थे, आपकी हुकूमत में। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी वे कार्यरत थे। क्या आपने कभी एक बार भी सर्कुलर जारी किया था ? सवाल ही नहीं है। यह कोई ऐसी परम्परा नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। आसंदी से माननीय सभापति जी, उस दिन जो निर्देश जारी हुआ, सरकार स्थिति स्पष्ट करे, केवल एक लाईन था। माननीय विधि मंत्री जी, अपनी बात कह रहे हैं। अगर आपको सुनना है, तो उसी बात पर जो माननीय विधि मंत्री जी कह रहे हैं , एक बार सुन तो लें कि आखिरी आसंदी ने क्या निर्देश दिया था। माननीय विधि मंत्री जी उसी के अनुरूप अपनी बात कह रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय विधि मंत्री जी, आपको बहुत अच्छा सदन को (xx) आता है। हम लोगों ने..।

सभापति महोदय :- ये आरोप है। मैं इसे विलोपित करता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यह तो आरोप है।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह बहुत घोर आपत्तिजनक है।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, ज्यादा ऐसी बात मत करिये। मैं इसे विलोपित करता हूं। (व्यवधान) मैंने इसको विलोपित कर दिया है।(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह हमारा अधिकार है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में हमने उस समय भी आग्रह किया था कि आप इस प्रकार का सर्कुलर जारी करें।

सभापति महोदय :- विधि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप विधि मंत्री जी का जवाब सुनना नहीं चाह रहे हैं। विधि मंत्री जी कह रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम लोगों ने सदन में क्या कहा था और इसके परिप्रेक्ष्य में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने निर्देश जारी किए थे आप उसको पढ़ लें। और पढ़ने के बाद अपनी बात को कहें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :-माननीय सभापति महोदय, इनकी बात को विलोपित किया जाए, यह गुमराह करते हैं ऐसा बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। यह सदन में अनावश्यक चर्चा उठाते हैं।

सभापति महोदय :- मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय विधि मंत्री जी जो कह रहे हैं, उनको सुन लें। सुनने के बाद कोई दूसरी बात कहें।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो अनुमति मांग रहा हूं, मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं हूं।

सभापति महोदय :- आपको तो अपनी बात कहने के अनेक अवसर मिलेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी, अगर कोई मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं तो आप सदन में सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? आप सिर्फ अपनी ही बात क्यों बोलना चाहते हैं? अगर सदन में आपने प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब तो ले लें। आप सुनना क्यों नहीं चाहते हैं मैं ये पूछ रहा हूं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इन लोग अनावश्यक मुद्दे उठाकर सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

सभापति महोदय :- आप विधि मंत्री जी को सुन लें।

श्री अजय चंद्राकर :- आप जैसा कहें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विधि मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, इसके पहले भी संसदीय सचिव रहे हैं। मैं फिर से यह बताना चाहता हूं कि न ही माननीय उच्च न्यायालय ने और न ही आसंदी ने इस प्रकार का कोई निर्देश दिया है कि राज्य सरकार ऐसा कोई आदेश जारी करे जिसमें किसके क्या अधिकार हैं वह परिभाषित हों। यह एक बात हुई। दूसरा यह कि इसके पहले भी संसदीय सचिव रहे हैं और संसदीय सचिव रहते किसी प्रकार का कोई आदेश आपने ऐसी कोई परंपरा बनाई ही नहीं। तो इस कारण से राज्य सरकार आदेश जारी करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है और नियमों में उसकी कहीं कोई परिभाषा भी नहीं है कि राज्य सरकार संसदीय सचिव के क्या अधिकार हैं उसको परिभाषित करे। दूसरी बात कि मैं आसंदी से अनुमति चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो बातें अंग्रेजी में कही है उसे आप मुझे अंग्रेजी में पढ़ने की अनुमति दें।

सभापति महोदय :- अनुमति है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय,

- PS cannot discharge any of the acts which are contained under Article 163 of the constitution of India that are to be done by the 'Ministers'.
- PS is not a part of the cabinet. (Not even in representative capacity).
- PS cannot answer questions on the floor of the House.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, सदस्यों को समझ में नहीं आ रहा है, उसको हिन्दी में रूपांतरण करके पढ़ दें।

सभापति महोदय :- इस विषय पर बहुत लंबी चर्चा हो चुकी। मुझे ध्यानाकर्षण भी लेना है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय न्यायालय ने अंग्रेजी में कहा है ।

श्री रामकुमार यादव :- कई जगह त छत्तीसगढ़ी घलोक समझ में नई आवय।

सभापति महोदय :- माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिये, वह पढ़ रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं अनुमति प्राप्त करके पढ़ रहा हूं।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सब समझते हैं, सब पढ़े-लिखे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- जब कवासी लखमा जी पूरी बात को समझ रहे हैं तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है इसलिए मैं चाहता हूं कि हिन्दी में पढ़ा जाए।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैंने अनुमति ली है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- मान लो यदि मैंने स्वीकार कर लिया कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो इसमें बुराई क्या है? न यह मेरी कमजोरी है। मुझे बोलनी नहीं आती, लेकिन मैं समझ तो रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आप लोगों को बात का बतंगड़ बनाने का है। माननीय आसंदी से माननीय मंत्री जी ने अनुमति मांगी कि चूंकि आदेश अंग्रेजी में है इसलिए मुझे अंग्रेजी में बोलने की अनुमति दी जाए, अब आसंदी से अनुमति मिल गई तो जब पढ़ रहे थे, फिर आप क्यों खड़े हो गये? न सुनना चाहते हैं और जबरदस्ती बात का बतंगड़ बनाकर समय जाया कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- अब मैं और किसी को अनुमति नहीं देता। माननीय विधि मंत्री जी अपनी बात कहें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय,

- PS can have access to official files in discharge of their duties to assist a portfolio 'Minister' while the house is in session and it is for the said purpose that the oath is administered by the CM.
- PS cannot carry out any constitutional duties entrusted to a Minister.
- PS cannot seek for examination of official records/file/ confidential records during the period the house is not in session and also not of such matters where their assistance is not sought for by the Minister.
- PS is not entitled for asking of file records concerning statutory duties (appeals, revisions, opinion, concurrence, consent, prior sanction, prior approval etc) in the department (irrespective of whether the House is in session of not) unless the portfolio Minister seek their assistance on any subject.
- PS cannot hold public meetings for grievance redressal hearing on matters concerning the department he/she is attached to.
- PS cannot seek information on any subject from any department other than the work which has been entrusted to them by the portfolio Minister seeking their assistance
- PS cannot look into complaints/representation suo moto concerning he working of the department to which they are attached. They cannot make recommendations on any representation/complaint in the department to which they are attached.
- PS cannot interfere in regular department proceedings
- PS cannot go on any departmental office/field office/ field suo moto unless directed/instructed/sought for by the portfolio Minister.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

- PS cannot preside over any departmental meeting unless directed/instructed by the portfolio Minister.
- PS cannot participate in meetings held by the chief Minister/ portfolio Minister on the concerned subject, as may be required by the portfolio Minister.
- PS is entitled for the salary as prescribed along with allowances for the duties discharged by them (The Chhattisgarh Vidhan Sabha Vetan, Bhatta Tatha pension adhiniyam ,1972 and also rules for grante of Swechca Anudan.
- PS is entitled for allotment of a guest house.
- PS is entitled for flag hoisting in a given ceremony.
- PS can be accommodated with a separate chamber in the Vidhan Sabha , Mantralya subject to availability of the same, if required.
- PS cannot as a rule insist for pilot. Providing security to any PS is a subjective decision of the State Government, provided the PS is assisting the concerned Minister over a subject which requires so.
- ये सब माननीय उच्च न्यायालय का है मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- आपके द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर, मैंने माननीय विधि मंत्री जी, संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना है। इस पर मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक):- माननीय सभापति महोदय जी मैं गृहमंत्री जी के सूचना बतौर नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूँ। अभी जो जानकारी मिली है। अम्लेश्वर थाना अंतर्गत राजधानी से खुड़मुड़ा गांव में सास बहू सहित 2 लोगों की हत्या हो गई है, उसमें 2 महिला की हत्या हो गई, दो पुरूष की हत्या हो गई। दो की खोजबीन जारी है, लापता है, पूरा माहौल कर्फ्यू जैसा बना हुआ है और ये घटना पाटन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। (शेम-शेम की आवाज) इस प्रकार की प्रदेश में जो स्थिति है गृहमंत्री जी आप इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे।

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, आपके द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। इसलिए..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

सभापति महोदय :- बात तो समाप्त हो गई। मैंने व्यवस्था सुरक्षित रख दी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। व्यवस्था में प्रश्नचिन्ह नहीं है।

सभापति महोदय :- जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बार मेरा उल्लेख माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने किया, मेरा नाम लेकर। चूंकि मेरा नाम लेकर उनहोंने उल्लेख किया इसलिए मुझे बोलना जरूरी है। एक बात। उसमें मैं कहूंगा। दूसरी बात आपने कही कि इसमें मैं व्यवस्था सुरक्षित रखता हूँ। संसदीय कार्यमंत्री, संसदीय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के बारे में। उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था आ चुकी है। उसमें नई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। मानना नहीं मानना, उस रूलिंग बैंच का अधिकार है। आसंदी तय करेगी उसको क्या होगा? एक बात। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो मेरे बारे में कहा, सदन के नेता के बारे में कहा। सदन के नेता ही नहीं वरन् मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ और क्या करना चाहिए मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री आपसे आग्रह करूंगा कि बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री लोगों के साथ, मुझे आपके जितना नहीं तो काम करने का सौभाग्य मिला है। संवेदनशील अवसरों में आसंदी को जिस व्यवस्था को देना चाहिए, सदन का नेता यदि व्यवस्था देते देखता है और मेरे gesture-posture में आप प्रश्नचिन्ह लगाते हैं कि धीरे से बोलिये, जोर से बोलिये। यदि सदन के नेता मुझे ये व्यवस्था दें तो मुझे क्या करना चाहिए, आप बता देंगे। अन्यथा मैं पूरा सम्मान करता हूं, सदन के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करता हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैंने अनुमति ली है। आपने बिना मेरे पढ़े बगैर यह कह दिया कि इसको मैं कक्ष में रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया ही नहीं है।

सभापति महोदय :- आपने पहले विशेषाधिकार भंग के बारे में बात की।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें बात करने की अनुमति चाहता हूं। वह इसी से रिलेटेड है।

सभापति महोदय :- आप पहले इस पर बोल चुके थे। आपने शुरू में पहला प्रश्न भी उठाया, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह कहा कि मैं उसमें अनुमति लेकर बातचीत करूंगा।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, रिकार्ड देख लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आपसे अनुमति लेकर बातचीत करूंगा। यदि आप अनुमति देंगे तो मैं आपसे विशेषाधिकार उठाने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- चलिये, आप बोल लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अकबर जी, आप मेरे मुर्शीद हैं, मुझे दुख है कि मैं आपके खिलाफ privilege motion कर रहा हूं। बृजमोहन अग्रवाल जी ने आपको विद्वान कहा, मैं तो हमेशा आपको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आलिम-फाजिल बोलता हूं। मेरे विशेषाधिकार का जो प्रश्न है, माननीय सभापति जी ने पहली बार जो व्यवस्था दी, शासन स्तर पर संसदीय सचिव के अधिकार और कर्तव्य इस संबंध में राज्य शासन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यथासमय स्थिति स्पष्ट करें। अब उसको माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने क्या परिभाषित किया? उन्होंने कहा कि सरकार चाहे, सत्र के आखिरी दिन जो भी आपका निर्देश प्राप्त हुआ था, उसमें लिखा था कि सरकार चाहे तो यथासंभव जानकारी दे। आपने उसको यथासंभव कर दिया है। फिर तीसरी बात दूसरी व्यवस्था में जो आसंदी ने कही कि सरकार चाहे तो यथासमय स्थिति स्पष्ट करे। आपने उसको दूसरा परिभाषित कर दिया, इस संबंध में मैंने दी। अब इस संबंध में दो व्यवस्थायें हैं। अध्यक्ष विधानसभा के स्थायी आदेश में 1 माह के भीतर राज्य शासन को आसंदी के निर्देश या किसी भी आश्वासन को विधानसभा के अंदर रखना है। सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देश में लिया, आश्वासन स्पष्ट नहीं है, आश्वासन स्पष्ट हो सकता है, सरकार निर्देश ले सकती है, आसंदी से बात कर सकती है। लेकिन विधानसभा ने उसको आश्वासन माना है, आसंदी के निर्देश में एक्शन टेकन रिपोर्ट होती रही है। 1 महीने की अवधि गुजर जाने के बाद ये सरकार तकनीकी पहलुओं पर उलझ रही है। अब जब मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उसमें व्यवस्था आ चुकी है। उस व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। उसमें मैंने विशेषाधिकार भंग की नोटिस दी है। मैं चाहता हूं कि ये सदन की गरिमा का प्रश्न है, सदन की व्यवस्था पर औचित्य का प्रश्न नहीं होता। सरकार चाहती तो उसी दिन स्प्ष्टीकरण ले सकती थी, मार्गदर्शन ले सकती थी। हम यदि एक महीने में ए.टी.आर. जमा नहीं किये हैं तो आसंदी उसमें क्या एक्शन लेगी, माननीय मंत्री जी के खिलाफ हो या मेरे खिलाफ हो, कोई भी, यदि व्यवस्था का पालन नहीं होता तो फिर उसमें क्या होगा? यदि आसंदी की गरिमा ही सुरक्षित नहीं है, आसंदी के ही आश्वासन पूरे नहीं हो रहे हैं तो माननीय सभापति महोदय, इस सदन की विश्वसनीयता क्या रह जायेगी? इसलिए मैंने माननीय कानून मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार भंग का मामला दिया है। उन्होंने आसंदी की व्यवस्था को अपने सुविधाजनक ढंग से परिभाषित किया और आसंदी की जो गरिमा है, उसको खत्म की। सरकार उसमें एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें आप स्वीकार करके बहस करवायें और निर्णय लें।

सभापति महोदय :- देखिये, मैंने पहले ही बताया कि माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष विचाराधीन है। आप सब जान रहे हैं कि इस वक्त माननीय अध्यक्ष जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, आप यह नहीं कह सकते कि अध्यक्ष जी उपस्थित नहीं हैं। आसंदी में जो भी बैठते हैं, वह अध्यक्ष के ही समान होते हैं। वह परिपूर्ण होता है।

सभापति महोदय :- वह ठीक है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष विचाराधीन है। माननीय बृजमोहन जी, आप इस बात को जानते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष जो विषय विचाराधीन है, उसको माननीय अध्यक्ष जी ही डील करते हैं। आप कृपा करके बैठिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं शून्यकाल का विषय उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा जी, बैठिये। बहुत समय हो गया है। मैं बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप शून्यकाल लेंगे या नहीं लेंगे?

सभापति महोदय :- मैं शून्यकाल की सूचना, ध्यानाकर्षण की सूचना लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे के रूप में है।

सभापति महोदय :- अच्छा, एक मिनट, विधि मंत्री जी कुछ कह रहे है।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिये, आप बोल लीजिए, आप कुछ बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो आसंदी का निर्देश हुआ, पिछले विधानसभा के एक पहले का वह तो आपने बता दिया लेकिन पिछले विधानसभा में ही निर्देश हुआ था कि आप अगले सत्र में स्थिति स्पष्ट कर दें तो पुरानी बात तो अपने आप ही समाप्त हो गई और पिछले विधानसभा का जो अभी वर्तमान सत्र इसके बाद पहला हुआ है तो पहले दिन आपको स्थिति स्पष्ट कर दी गई ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे के रूप में होती है और आज छत्तीसगढ़ का किसान सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित है और छत्तीसगढ़ का किसान सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित छत्तीसगढ़ सरकार के कारण है ।

सभापति महोदय :- अभी ध्यानाकर्षण सूचना हो जाए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें मेरा स्थगन है । मैंने स्थनग प्रस्तुत किया है ।

सभापति महोदय :- माननीय सभापति महोदय, एक-तरफ सरकार दावा करती है कि हम 2500 रूपए क्विंटल में धान खरीदेंगे । पिछले साल की धान खरीदी का 2500 रूपया किसानों को अब तक नहीं मिला । माननीय सभापति जी, दूसरी तरफ गिरदावली के नाम पर किसानों का 20 से 25 प्रतिशत रकबा काट दिया गया । तीसरी तरफ 01 दिसम्बर से लेट धान खरीदी शुरू की गई । जिसके चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभी स्थिति यह बन गई है कि ज्यादातर जिलों में 05 एकड़ से छोटे किसानों का धान खरीदा जा रहा है, बाकी लोगों के धान को खरीदा नहीं जा रहा है कहीं बारदाने की कमी के नाम से खरीदी रूकी हुई है । इन सारे मुद्दों को लेकर हमने एक स्थगन आपके सामने प्रस्तुत किया है । मेरा निवेदन है कि स्थगन को स्वीकार कर चर्चा करायें ।

सभापति महोदय :- इसकी सूचना मिल गई है । अन्य कोई सदस्य बोलना चाहे तो बोल सकते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद किसान का खेत चोरी हो जा रहा है और कई किसान रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं कि हमारा खेत गिरदावरी के नाम पर चोरी हो गया ।

सभापति महोदय :- मैं अभी स्थगन की सूचना ले रहा हूं । मैं पढ़कर सुनाउंगा, उस वक्त आप अपनी बात कह लें ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, ऐसी अव्यवस्था पहले कभी नहीं हुई थी । धान खरीदी केंद्रों में व्यापक अव्यवस्था है । किसान परेशान और हैरान हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उसके पहले 2100 रूपए बहुत हम लोगों ने ले लिया था ।

समय :
12:42 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में किसानों से धान खरीदी में विलंब एवं रकबा कम किया जाना

सभापति महोदय :- मेरे पास प्रदेश में किसानों से धान खरीदी में विलंब एवं रकबा कम किये जाने के संबंध में 16 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

प्रथम सूचना	-	श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
दूसरी सूचना	-	श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
तीसरी सूचना	-	श्री अजय चंद्राकर, सदस्य
चौथी सूचना	-	श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
पांचवीं सूचना	-	डॉ. रमन सिंह, सदस्य
छठवीं सूचना	-	श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
सातवीं सूचना	-	श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
आठवीं सूचना	-	श्री नारायण चंदेल, सदस्य
नवमीं सूचना	-	श्री विद्यातन भसीन, सदस्य
दसवीं सूचना	-	श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
ग्यारहवीं सूचना	-	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
बारहवीं सूचना	-	श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
तेरहवीं सूचना	-	श्री सौरभ सिंह, सदस्य
चौदहवीं सूचना	-	श्रीमती रंजना डीपेंद्र साहू, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पन्द्रहवीं सूचना - श्री ननकीराम कंवर, सदस्य

सोलहवीं सूचना - श्री डमरूधर पुजारी

चूंकि श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की सूचना तथ्यात्मक है अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

किसानों के नाम पर शासन में आयी इस सरकार के कार्यकाल में किसान सर्वाधिक पीड़ित है । शासन द्वारा किसानों के धान को 2500 रूपये क्विंटल में खरीदने की घोषणा की गई, किंतु सत्र 2019-2020 की खरीदी का भी किसान को 2500 रूपये आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, दूसरी ओर किसान की अरली व मीडियम किस्म की धान की फसल अक्टूबर माह में कटकर तैयार हो जाती है, किंतु सरकार ने धान खरीदी 1 दिसम्बर से सत्र 2020-21 हेतु शुरूवात की है जिसके चलते किसान को खलिहान तैयार करने में एक से डेढ़ महीने फसल की सुरक्षा करने तथा प्रति क्विंटल 2 से 3 किलो जो सूखद आ रही है, उसका नुकसान भी किसानों को उठाना पड़ रहा है । वहीं मेड़पार के नाम पर किसानों की कृषि भूमि का रकबा गिरदावरी के माध्यम से 20 से 25 प्रतिशत कम किया जा रहा है । बलौदाबाजार जिले के भाटापारा विधानसभा अंतर्गत ग्राम कोनी के 150 किसान, ग्राम बगबुड़वा के 74 किसान, गोढ़ी-टी सोसायटी के 50 किसान, सरगुजा के बारियों सोसायटी के 500 किसान, बिल्हा विधान सभा के गंगद्वारी के 100 से अधिक किसानों सहित प्रदेश भर के कई ग्रामों के किसानों का रकबा कम करने से पूरे प्रदेश में किसान आक्रोशित हैं। एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि पिछले वर्षों की तुलना में किसानों के पंजीयन की संख्या बढ़ी है वहीं दूसरी ओर जिस संख्या में किसानों की संख्या बढ़ी है, उस अनुपात में कृषि का रकबा नहीं बढ़ा है । इसका बड़ा कारण गिरदावरी के नाम से रकबा कम करना है । कोंडागांव जिले के मारंगपुरी निवासी किसान धनीराम के खेत के रकबा को पटवारी ने कलेक्टर व शासन के रकबा कम करने के निर्देश का पालन करते हुए गिरदवारी रिपोर्ट में 6.70 एकड़ के स्थान पर 1 एकड़ से कम कर दिया गया था । 100 क्विंटल की जगह 11 क्विंटल धान बेचने के टोकन मिलने से दुखी व हताश बैंक के कर्जदार किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । अमूमन पूरे प्रदेश में किसानों के आत्महत्या करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं । ग्राम तोरला विकासखंड अभनपुर के कृषक प्रकाश तारक, ग्राम केन्द्री, तहसील अभनपुर में कमलेश साहू ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली । ग्राम हरदी, तहसील धमधा के लीलूराम पटेल, ग्राम डोमा तहसील धमधा के प्रेमलाल साहू, ग्राम मातरोडीह, तहसील दुर्ग के दुर्गेश कुमार निषाद, सरगुजा जिले के बबोली गांव के दर्शनराम ने आत्महत्या कर ली । किसानों की आत्महत्या का कारण फसल का वाजिब दाम न मिलना एवं नगदी खाद बीज के कारण फसल का नुकसान होना प्रमुख कारण रहा है । अपूर्ण तैयारी के साथ धान खरीदी प्रारंभ की गई है, समय पर बारदाना खरीदी हेतु आर्डर नहीं दिये गये । पीडीएस व मिलर्स के पुराने बारदानों को बुलाने के लिए समय पर प्रयास नहीं किये गये इससे धान खरीदी केन्द्रों में अव्यवस्था हो गई । जगह-जगह चक्का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जाम हो रहा है, किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं । विगत वर्ष में खरीदे गए धान को आज तक संग्रहण स्थल से पूर्णत: नहीं उठाया है तथा संग्रहण स्थल में करोड़ों का धान सड़ गया जो एक राष्ट्रीय हानि है ।

किसान के हित में कर्जमाफी तथा 2500 रूपये कीमत पर धान खरीदी करने में सरकार असफल रही है । अत: इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए ।

इस पर शासन का वक्तव्य क्या है ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है । हम चाहते हैं कि इसको तत्काल ग्राहय करें और तुरंत चर्चा प्रारंभ कराएं । सरकार इस पर चर्चा कराना चाहती है, इसलिए स्थगन को ग्राहय करके तुरंत चर्चा प्रारंभ करें ।

सभापति महोदय :- स्थगन प्रस्ताव चर्चा हेतु ग्राहय किया जाता है । मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु दोपहर 3.00 बजे का समय निर्धारित करता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार ने तत्काल चर्चा के लिए कहा है । तत्काल चर्चा चाहते हैं । लेकिन पहले मंत्री जी का उत्तर तो आ जाए ।

सभापति महोदय :- मैंने 3.00 बजे का समय निर्धारित किया है ।

श्री नारायण चंदेल :- महत्वपूर्ण विषय है, तत्काल चर्चा होनी चाहिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, अपना वक्तव्य पढ़ें ।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय सभापति महोदय । यह कहना सही नहीं है कि... ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, आप ज़रा इस बात को देख लें कि हमने इस प्रस्ताव में आत्महत्या का उल्लेख किया है, हमने राजस्व से संबंधित गिरदावरी का उल्लेख किया है, हमने धान खरीदी का उल्लेख किया है । इसमें चार विभाग शामिल हैं । तो मंत्री जी के वक्तव्य में चारों विभागों का उत्तर आ जाए ।

सभापति महोदय :- वैसे तो स्थगन प्रस्ताव किसी एक विषय पर प्राप्त होना चाहिए । आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि आपने चार-चार विषय पर स्थगन दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारा विषय, किसान है ।

सभापति महोदय :- आप खुद कह रहे हैं कि आपने 4-4 विषय पर स्थगन दिया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसान से संबंधित चार विषय है ।

सभापति महोदय :- चलिए, संसदीय कार्यमंत्री जी ने इसे ग्राहय करने का अनुरोध किया है । मैंने ग्राहय कर लिया है और 3.00 बजे चर्चा का समय दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी ।

सभापति महोदय :- पहले माननीय मंत्री जी वक्तव्य दे दें । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं ?

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- पहले वक्तव्य सुनें तो सही ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश के किसान सर्वाधिक पीड़ित हैं । अपितु सरकार द्वारा किसानों की स्थिति सुदृढ़ करने हेतु अनेक कार्य किये जा रहे हैं । वर्तमान में सरकार गठन के पश्चात किसानों के हित में कृषि ऋण माफी का निर्णय लिया गया । सहकारी बैंकों के 13.46 लाख किसानों का 5260.63 करोड़ का ऋण माफ किया गया । जिससे किसानों में अत्यधिक प्रसन्नता है । वर्ष 2019-20 में 11.34 लाख किसानों को 4,420 करोड़ का 2020-21 में 12.65 लाख किसानों को 4,630 करोड़ का ऋण वितरण 0 प्रतिशत ब्याज दर पर दिनांक 15/12/2020 तक किया गया है। वर्ष 2018-19 में 15.71 लाख किसानों से 80.38 लाख टन धान खरीदा गया जिसकी 14,115.66 करोड़ राशि किसानों को भुगतान की गई है। रूपये 2500 प्रति क्विंटल धान का मूल्य किसानों को भुगतान करने हेतु समर्थन मूल्य से अंतर की राशि का 5,979.49 करोड़ प्रोत्साहन बोनस किसानों को प्रदाय किया गया है। वर्ष 2019-20 में 18.38 लाख किसानों से 83.94 लाख टन धान खरीदा गया जिसकी 15,285 करोड़ राशि किसानों को भुगतान की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान बेचने वाले सभी किसानों को रूपये 10000 प्रति एकड़ के मान से कृषि आदान सहायता राशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना की 3 किश्तों में राशि 4,488 करोड़ का भुगतान 18.38 लाख किसानों को किया गया है। किसान शासन की धान उपार्जन नीति से उत्साहित होकर इस वर्ष 21.48 लाख किसानों द्वारा अपना पंजीयन धान बेचने के लिए कराया गया है, दिनांक 17/12/2020 की स्थिति में कुल 7,78,839 किसानों के द्वारा 28.82 लाख टन धान का विक्रय उपार्जन केन्द्रों में किया गया।

जिला रायपुर अंतर्गत अभनपुर तहसील के सेवा सहकारी समिति तामासिवनी (तोरला) के कृषक स्व. प्रकाश तारक सहकारी समिति के सदस्य नहीं थे और न ही उनके द्वारा सहकारी समिति/बैंक से कोई ऋण लिया गया। ग्राम केन्द्री के स्व. कमलेश साहू के द्वारा भी समिति/बैंक से कोई ऋण नहीं लिया गया। दुर्ग जिला अंतर्गत धमधा तहसील के अंतर्गत ग्राम हरदी में स्व. लीलुराम पटेल के द्वारा सहकारी समिति/सहकारी बैंक से कोई ऋण नहीं लिया गया था। इसी जिले के किसान स्व. दुर्गेश कुमार निषाद के द्वारा भी सहकारी समिति/सहकारी बैंक से कोई ऋण नहीं लिया गया। जिला राजनांदगांव अंतर्गत धान खरीदी केन्द्र घुमका में किसान स्व. करण साहू द्वारा दिनांक 08/12/2020 को विक्रय हेतु धान निर्धारित केन्द्र घुमका में लाया गया था व प्रक्रिया अनुसार उनका धान क्रय कर लिया गया तथा इसी दौरान कृषक का स्वास्थ्य खराब होने पर उपार्जन केन्द्र में पदस्थ नोडल अधिकारी द्वारा त्वरित चिकित्सा सहायता हेतु कार्यवाही करते हुए कृषक स्व. श्री करण साहू को चिकित्सालय भेजा गया जहां उन्हें जांच के दौरान मृत घोषित किया गया है। शेष प्रश्नांश बैंक से संबंधित नहीं है।

अत: प्रदेश के किसानों में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आ चुका है और मैंने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को ग्राह्य करने का निर्देश दिया है और अब मैं स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 बजे का समय निर्धारित करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि चर्चा अभी कर लीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- कर लीजिए। चलिए, शुरू कराइए।

सभापति महोदय :- चलिए, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- चलिए, चर्चा शुरू कराइए।

श्री नारायण चंदेल :- चर्चा शुरू कराइए। यह महत्वपूर्ण विषय है। इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां-हां, हम तैयार हैं। चर्चा शुरू कराइए।

सभापति महोदय :- ठीक है तो मंत्री जी सहमत हैं तो चर्चा शुरू करिए। शिवरतन शर्मा जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, हम सहमत हैं।

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा जी, चर्चा प्रारंभ करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, माननीय सभापति जी..।

श्री रविन्द्र चौबे :- मुख्यंमंत्री जी आखिरी में उत्तर दे देंगे न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, माननीय मंत्री जी के जवाब में किसी भी प्रकार से जो किसानों के आत्महत्या का मामला है, उसका कोई जवाब नहीं आया है। कोई किसी प्रकार से किसानों को मुआवजा दिया जायेगा, जिन्होंने आत्महत्या की है खेती किसानी के कारण..।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी तो उत्तर आयेगा। आप पूरी चर्चा तो कर लें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह जवाब नहीं है।

सभापति महोदय :- अब मंत्री जी चर्चा भी करेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- चर्चा हो जाये।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी का पूरा उत्तर आ जाये। मंत्री जी के उत्तर में सारी बातें आनी चाहिए थीं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप पूरी चर्चा तो करा लें। आप चर्चा क्यों नहीं करा रहे हैं?

श्री अमरजीत भगत :- विपक्ष तैयार नहीं है। विपक्ष सिर्फ राजनीति करना चाहता है।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी। आप चर्चा प्रारंभ करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- आप भाग क्यों रहे हैं ? आप चर्चा करें। हर चीज का जवाब मिलेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अरे, हम नहीं भाग रहे हैं। भाग तो सरकार रही है। आप भाग रहे हैं। विषय से संबंधित जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- हर चीज का जवाब मिलेगा। सरकार जवाब देगी। हम तत्काल चर्चा चाहते हैं। सरकार जवाब देगी। हम तत्काल चर्चा चाहते हैं, हम जवाब देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, हमने जो विषय उठाये हैं, उसका जवाब सरकार की तरफ से पूरा आना चाहिए। आत्महत्या करने के लिए, मजबूर करने के लिए जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

सभापति महोदय :- मैंने चर्चा प्रारंभ करने का निर्देश दे दिया है । चर्चा में उत्तर आयेगा ।

श्री नारायण चंदेल :- यह चर्चा ही तो है ।

सभापति महोदय :- चर्चा दोनों पक्षों से होती है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आ गया, लेकिन जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उसका उत्तर नहीं आया । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जिन किसानों ने आत्महत्या की है, जिन अधिकारियों ने मजबूर किया है, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? इसके बारे में मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप लोगों को चर्चा की तैयारी करने के लिए समय चाहिए क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग चर्चा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चंदेल जी बैठिए, बृजमोहन जी, बैठिए । आप बैठिए । मैंने माननीय शिवरतन शर्मा जी का नाम चर्चा के लिए पुकार लिया है । शर्मा जी, आप चर्चा प्रारंभ करें । (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- आखिर किसानों ने आत्महत्या क्यों की और किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- किसानों को मुआवजा देने की घोषणा कर दें (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- जितने सदस्य हैं, उतने प्रकार की बात कर रहे हैं । आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप चर्चा से भाग रहे हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति जी, हम चर्चा से नहीं भाग रहे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा चर्चा प्रारंभ करें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार है, हम तैयार हैं । हम जवाब देने के लिए तैयार हैं (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसानों को आत्महत्या करने हेतु प्रेरित करने के लिए जो अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करने की घोषणा करें ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए, चंदेल जी बैठिए ।

श्री नारायण चंदेल :- कार्यवाही करने की घोषणा कर दें ।

सभापति महोदय :- आप भी बैठिए । चर्चा प्रारंभ करने के लिए मैंने निर्देशित कर दिया है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- यह चर्चा ही तो हो रही है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने कहा कि तत्काल चर्चा कराईए, हम तत्काल चर्चा कराना चाहते हैं । आप भाग क्यों रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह सदन की परम्परा है कि जो विषय स्थगन के माध्यम से सदन के सामने लाया गया है, उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, उसका पूरा जवाब आना चाहिए (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- हम तत्काल चर्चा कराना चाहते हैं, आप भाग क्यों रहे हैं ? आप लोगों की तैयारी नहीं है क्या ? (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, चर्चा करना चाहते हैं। हम लगातार चर्चा करना चाहते हैं । आपके पास समय नहीं है । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- हम तत्काल उत्तर देंगे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- चर्चा के लिए आपके पास समय ही नहीं है । जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए जवाबदार कौन है, आप उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- हम चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं, आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मेरी अनुमति के बगैर जो बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का अंश नहीं होगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX][3]

श्री धरम लाल कौशिक :- [XX]

श्री मोहन मरकाम :- [XX]

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा चर्चा प्रारंभ करें । अगर आप चर्चा प्रारंभ नहीं करेंगे तो मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकारूंगा । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं (व्यवधान)

---

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति जी, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर यह बिल्कुल उचित नहीं है ।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- सुन लेते हैं ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने स्थगन लाया और आपने शिवरतन शर्मा जी की सूचना को पढ़ा । उसके बाद ट्रेजरी बेंच से संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि हम तत्काल चर्चा कराना चाहते हैं । आपने कहा कि विभाग का जवाब नहीं आया तो अब जवाब भी आ गया । अब जवाब कैसे आएगा, क्या आएगा, यह तो विभाग तय करेगा, मंत्री जी तय करेंगे कि उसमें क्या जवाब देना है या नहीं देना है ? उसके बाद जब आपने स्थगन ग्राह्य करके चर्चा शुरू कर दी, उसके बाद आपने नाम पुकार भी दिया । माननीय शिवतरन शर्मा जी ने प्रथम सूचना दी, आपने उनका नाम चर्चा प्रारंभ करने के लिए पुकार भी दिया । उसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ गई, फिर रोक क्यों लगा रहे हैं ? यह सरकार किसानों की सरकार है और किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है । (मेजों की थपथपाहट) और इसी कारण तत्काल इस स्थगन को ग्राह्य कराया गया है । जो बोलना है, वह आप बोलिए न । वह सदन के रिकार्ड में आएगा । हमारे सदस्य भी जवाब देंगे, ट्रेजरी बेंच से भी जवाब आएगा, लेकिन आप चर्चा को रोक क्यों रहे हैं ?

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी चर्चा प्रारंभ करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारे चार प्रकार के मुद्दे हैं, इन चार प्रकार के मुद्दों का जवाब आना चाहिए ।

सभापति महोदय :- हां तो बाद में जवाब आयेगा न ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, बिना तैयारी के आये है और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं इसलिए परेशान हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी का जवाब जो लिखित में आया है, जो किसान बेचारे आत्महत्या किये हैं, वह सरकार की गलत नीतियों के कारण किये हैं, उनको 25 लाख रूपये देने की घोषणा सरकार करे । इसके लिए जो अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा चर्चा प्रारंभ करें ।

श्री मोहन मरकाम :- इनकी सरकार में कितने किसानों ने आत्महत्या की है, कितने लोगों को मुआवजा आपकी सरकार ने दिया है । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपकी सरकार में 12 हजार किसानों ने आत्महत्या की थी । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा जी चर्चा प्रारंभ करें । आप बैठिए, नेता जी, मैं खड़ा हूं । कौशिक जी, आप बैठिए ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, वे क्या बोलेंगे, आधी-अधूरी तैयारी के, बिना तैयारी के आये हैं । चर्चा से भाग रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- किसानों की संख्या को देखकर ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- ये केवल मुद्दा उछालकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं । ...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये-बैठिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब चर्चा से भाग रहे हैं..। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- किसानों की खुशी इन लोगों से देखी नहीं जा रही है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हमारी सरकार हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, मैं खड़ा हूं, आप बैठिये। मैं खड़ा हूं, आप बैठिये। चंद्राकर जी बैठ जाईये। देखिये, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही। मैंने चर्चा के लिये शिवरतन शर्मा जी का नाम पुकार लिया। अगर शिवरतन शर्मा जी चर्चा प्रांरभ नहीं करेंगे तो मैं दूसरे सज्जन साथी का नाम बुलाऊंगा। इसलिये निवेदन है, मैं अनुमति नहीं देता। शर्मा जी, बोलिए। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि 25 लाख रूपये....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- पहले चर्चा तो हो ।

श्री अमरजीत भगत :- इनकी तैयारी ही नहीं है। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। स्थगन का महत्वपूर्ण तो यही विषय है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित।

(01:01 से 01:17 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही।)

समय :
1:17 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी, चर्चा प्रारंभ करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, अभी आप बैठे भी नहीं हो, आप चर्चा शुरू करवा दिए। आप पहले बैठिये तो।

सभापति महोदय :- मैं खड़े होकर निर्देश देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, आपके निर्देश सर आंखों पर है।

सभापति महोदय :- धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- परन्तु मैंने पहले ही, जब स्थगन प्रस्ताव पढ़ रहे थे तभी मैंने खड़े होकर कहा था कि हमने इसमें विभिन्न प्रकार के बिन्दु उठाये हैं और उन बिन्दुओं का जवाब आना चाहिए।

सभापति महोदय :- मंत्री जी जवाब देंगे न, मंत्री जवाब दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है..।

सभापति महोदय :- आप चर्चा तो प्रारंभ करिये, जवाब देंगे। सभी संबंधित लोग जवाब देंगे। आप चर्चा तो प्रारंभ करें। चर्चा प्रारंभ नहीं करेंगे तो किसका जवाब देंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें सभी बिन्दुओं का जवाब नहीं आया है। किसानों ने आत्महत्या की है, उनके परिवार की हालत खराब है। सरकार उनको 25-25 लाख रूपया देने की घोषणा करें।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपकी सरकार में अब से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी, आपने कितना मुआवजा दिया था ?

श्री नारायण चंदेल :- यह प्रदेश का सबसे ज्वलंत विषय है। किसानों का विषय है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उन किसानों की आत्महत्या के लिए जो अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर किसान सुरक्षित नहीं होगा तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। (व्यवधान)

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- कोई तैयारी नहीं है। जबर्दस्ती सरकार से आदेश चाहते हो।

श्री नारायण चंदेल :- किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ..(व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- चर्चा करने से भाग क्यो रहे हो ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। ग्राम मचांगुर, यहां के किसान ने आत्महत्या की है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय नेता जी, जब तैयारी नहीं है तो आप लोग जबर्दस्ती क्यों स्थगन लगाते हो। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, बोलने के लिए बात ही नहीं है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, विधानसभा का आज पहला दिवस है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में सभी माननीय विपक्ष के साथियों ने स्थगन दिया है। आपने उसको पढ़कर सुनाया। उस समय सदन के नेता भी मौजूद थे। हमने बड़ी उदारता से कहा कि चर्चा तत्काल प्रारंभ करें, स्थगन ग्राहय किया जाये। आपने पढकर माननीय शिवरतन जी का नाम चर्चा के लिए आमंत्रित किया। अब ये चर्चा से क्यों भाग रहे हैं ? आपकी तैयारी नहीं है क्या ? आप सुनिये न, सरकार का उत्तर आयेगा।

श्री मोहन मरकाम :- कोई तैयारी नहीं है, इसलिए भाग रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- 25 लाख रूपया देने से क्यों भाग रहे हैं।

सभापति महोदय :- ये सब चर्चा में कहिये न। जो कुछ भी मांग है, चर्चा में कहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, माननीय ससंदीय कार्यमंत्री, कृषि मंत्री जी, आपको तो [XX][4] आना चाहिए।

सभापति महोदय :- मैं इसको विलोपित करता हूं। माननीय बृजमोहन जी ने जो कहा है, उसको विलोपित करता हूं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य :- बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो कहा है उसको विलोपित करिये।

श्री मोहन मरकाम :- इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आप किसानों के विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ?

श्री अमरजीत भगत :- अगर आपने विषय उठाया है तो चर्चा करिये।

श्री मोहन मरकाम :- सरकार जवाब देगी।

श्री अमरजीत भगत :- आप सरकार को कब बोल सकते थे, जब हम चर्चा के लिए मना करते।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, [XX]

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी ने जो कहा [XX] उसको मैं विलोपित करता हूं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, अगर तैयारी नहीं है तो वापस ले लें।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं और आप बोले जा रहे हैं।

[4][xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, आप भी खड़े हैं। माननीय सभापति जी, हमारे स्थगन में हमने जो बिन्दु उठाये हैं उसका महत्वपूर्ण जवाब, पूरा जवाब माननीय मंत्री जी की तरफ से आना चाहिए।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- किसानों के नाम पर दिखावा।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, अगर तैयारी नहीं है तो वापस ले लें। तैयारी नहीं है इसलिए चर्चा से भाग रहे हैं।

सभापति महोदय :- मेरा निवेदन सुनें। अब ये ग्राह्य हो गया, तत्काल चर्चा प्रारंभ करने की स्थिति आ गई। मैंने माननीय शिवरतन शर्मा जी को चर्चा के लिए पुकारा। शिवरतन शर्मा जी या तो आप पहले चर्चा करें। आप बिना चर्चा किए किसी बात को उठा रहे हैं। आपको जो कुछ भी कहना है आप चर्चा में कहिए। उधर से जवाब भी लीजिए।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, चर्चा में तो लिया ही नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया मैं उसमें कुछ आग्रह करना चाहता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, आपने तो शिवरतन शर्मा जी का नाम पुकारा गया, ये कहां से बीच में खड़े हो गये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जब विपक्ष के नेता, वरिष्ठ सदस्य और जिन लोगों के स्थगन में नाम हैं उन लोगों ने मांग की कि समग्र रूप से सरकार के द्वारा पढ़े गये उत्तर नहीं हैं। आसंदी को यह अधिकार है कि सरकार पूरा उत्तर दे। जो विषय स्थगन में शामिल हैं उसमें सरकार का उत्तर आना चाहिए। आपसे आग्रह है कि आप अनुमति दें, हमारे पूरे विषय स्थगन में शामिल है।

श्री अमरजीत भगत :- आसंदी से नाम पुकारा जा चुका है। अगर शिवरतन शर्मा जी का नाम चर्चा के लिए पुकारा गया है तो शिवरतन शर्मा जी को चर्चा में भाग लेना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, किसान मर रहा है, किसान की धान खरीदी नहीं हो रही है, किसान का रकबा कम हो गया है, धान का उठाव नहीं हो रहा है, सारी अव्यवस्था फैली हुई है। माननीय मंत्री जी को इन सारी चीजों का जवाब देना चाहिए। धान खरीदी में पूरे प्रदेश में अव्यवस्था है। गिरदावरी के नाम पर रकबा काट दिया गया। धान का उठाव नहीं हो रहा है। किसान ठंड में परेशान है और आत्महत्या कर रहा है। क्या स्थगन प्रस्ताव का यही जवाब है। इस प्रदेश में नकली खाद और बीज का उठाव हुआ है। इन सब चीजों के बारे में सदन के अंदर बात करनी चाहिए। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है। मंत्री जी को जवाब देना चाहिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, इनकी तैयारी नहीं है तो इनको स्थगन वापस ले लेना चाहिए।

श्री मोहन मरकाम :- अगर तैयारी नहीं है तो स्थगन प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अमरजीत भगत :- (व्यवधान) अगर विषय आ गया है। आसंदी से शिवरतन शर्मा जी का नाम पुकारा गया है तो शिवरतन शर्मा जी को चर्चा में भाग लेना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- (व्यवधान)इस सब चीजों के बारे में विस्तृत बात करना चाहिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, तैयारी नहीं है तो स्थगन वापस ले लें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, आप दूसरा नाम ले लीजिए। इनकी तैयारी नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, तैयारी नहीं है तो स्थगन वापस ले लें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ये सदन की मान्य परम्परा रही है। विपक्ष के द्वारा जो स्थगन दिया जाता है उस स्थगन में ट्रेजरी बेंच से हमेशा जवाब आता है। आज हमारे स्थगन का जो विषय है उसके केन्द्र बिन्दु में किसान है और किसान की दृष्टि से हमने गिरदावली का भी विषय लिया है (व्यवधान)..।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष ने..। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आत्महत्या का विषय भी लिया है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हमारी सरकार की चर्चा करने की हिम्मत है। हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है।

श्री अमरजीत भगत :- अब इसमें चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, इनकी तैयारी नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, चर्चा में यह सारी बात आएगी। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मेरा निवेदन सुने। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :-अगर किसानों के प्रति इनके मन में दर्द है ।

सभापति महोदय :- देखिए, माननीय शिवरतन जी, (व्यवधान) आप चर्चा में भाग लीजिए। वे जवाब देंगे।

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये.)

समय :
1:28 बजे

<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वयमेव निलम्बन</u>

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयमेव निलंबित हो गये हैं :-

भारतीय जनता पार्टी

01. श्री धरमलाल कौशिक
02. डॉ. रमन सिंह
03. श्री बृजमोहन अग्रवाल
04. श्री ननकीराम कंवर
05. श्री पुन्नूलाल मोहले
06. श्री अजय चन्द्राकर
07. श्री नारायण चंदेल
08. श्री शिवरतन शर्मा
09. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
10. श्री सौरभ सिंह
11. श्री डमरूधर पुजारी
12. श्री विद्यारतन भसीन
13. श्री रजनीश कुमार सिंह
14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.)

01. श्री धर्मजीत सिंह

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा। कृपया बाहर जायें।

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 1 बजकर 29 मिनट पर विधान सभा मंगलवार, दिनांक 22 दिसंबर, 2020 (पौष 01, शक् संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छ.ग.) **प्रमुख सचिव**

दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं